V सहकारी बैंकिंग गतिविधियां

सहकारी बैंकिंग के शहरी और ग्रामीण दोनों खंड कोविड के दौरान सुदृढ़ बने रहे। यद्यपि वर्ष 2020-21 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के तुलन-पत्र की वृद्धि देयता पक्ष में जमाराशियों की वजह से थी, तथापि ऋण वृद्धि में गिरावट ने आस्ति पक्ष में निवेश में बढ़ोतरी को प्रेरित किया। शहरी सहकारी बैंकों की पूंजीगत स्थिति और लाभप्रदता सहित उनके वित्तीय संकेतक में सुधार हुआ। अल्पावधि ग्रामीण सहकारी समितियों में, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ, जबकि उनकी आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट आयी। आगे चलकर, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने वाली संरचनात्मक सुधार उनके परिचालन में परिवर्तन लाएगा।

1. भूमिका

V.1 सहकारी बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से ग्रामीण सहकारी समितियां वर्ष 2020-21 में महामारी की पहली लहर से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहा। फिर भी, विनियमाकीय ओवरलैप, उच्च स्तर की ऋण चूक और धोखाधड़ी के कारण जमाकर्ताओं के विश्वास में कमी से उत्पन्न संरचनात्मक बाधाएं इस क्षेत्र को आक्रांत कर रही हैं। वर्ष 2020-21 में, रिज़र्व बैंक और सरकार ने इन मुद्दों को हल करने का फैसला किया। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने रिज़र्व बैंक को इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए अतिरिक्त शक्तियां प्रदान कीं। जमा बीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने से सहकारी जमाकर्ताओं के कवरेज की हिस्सेदारी मार्च 2019 के अंत में 42.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 69.4 प्रतिशत हो गयी[1]। जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय के सृजन का उद्देश्य बहु-राज्य सहकारी समितियों के विकास के योग्य बनाने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करना है।

V.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय में समीक्षाधीन अवधि के दौरान शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के कार्य-निष्पादन की जांच की गयी है। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना और इसके विनियमन को खंड 2 में दिया गया है, इसके बाद खंड 3 में वर्ष 2020-21 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के कारोबार परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन की चर्चा की गई है। अल्पावधि और दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी समितियों की वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन खंड 4[2] में किया गया है। खंड 5 में समग्र मूल्यांकन के साथ अध्याय का समापन किया गया है।

2. सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की संरचना

V.3 भारत में सहकारी बैंकिंग की संरचना बहु-स्तरीय है, जिसके मुख्य स्तंभ शहरी और ग्रामीण सहकारी समितियाँ हैं।

[1] केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई घोषणा के आलोक में निक्षेप बीमा और ऋण प्रत्यय निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम में 13 अगस्त 2021 को संशोधन किया गया, जो 1 सितंबर 2021 को लागू हुआ। इस संशोधन ने डीआईसीजीसी को संकटग्रस्त बैंकों को रिज़र्व बैंक के सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के अंतर्गत होने के बावजूद ऐसे निदेश लागू होने के 90 दिनों के भीतर अंतरिम निक्षेप बीमा भुगतान करने का अधिकार दिया। 20 दिसंबर 2021 तक, 21 संकटग्रस्त बैंकों में से, डीआईसीजीसी ने 16 यूसीबी को भुगतान किया है, जो इस तरह के भुगतान प्राप्त करने के योग्य थे। 1.09 लाख जमाकर्ताओं को ₹1,374 करोड़ का संवितरण एजेंसी बैंक के माध्यम से किया गया था। इससे लंबे समय से तनावग्रस्त जमाकर्ताओं को काफी राहत मिली है और यूसीबी क्षेत्र में विश्वास पैदा हुआ है।

[2] यद्यपि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) और दीर्घावधिक सहकारी समितियां रिज़र्व बैंक के विनियमाकीय दायरे से बाहर हैं, तथापि इस क्षेत्र की पूरी रूपरेखा प्रदान करने के लिए आंकड़े और उनकी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण को इस अध्याय में शामिल किया गया है।

चार्ट V.1: सहकारी बैंकों की संरचना

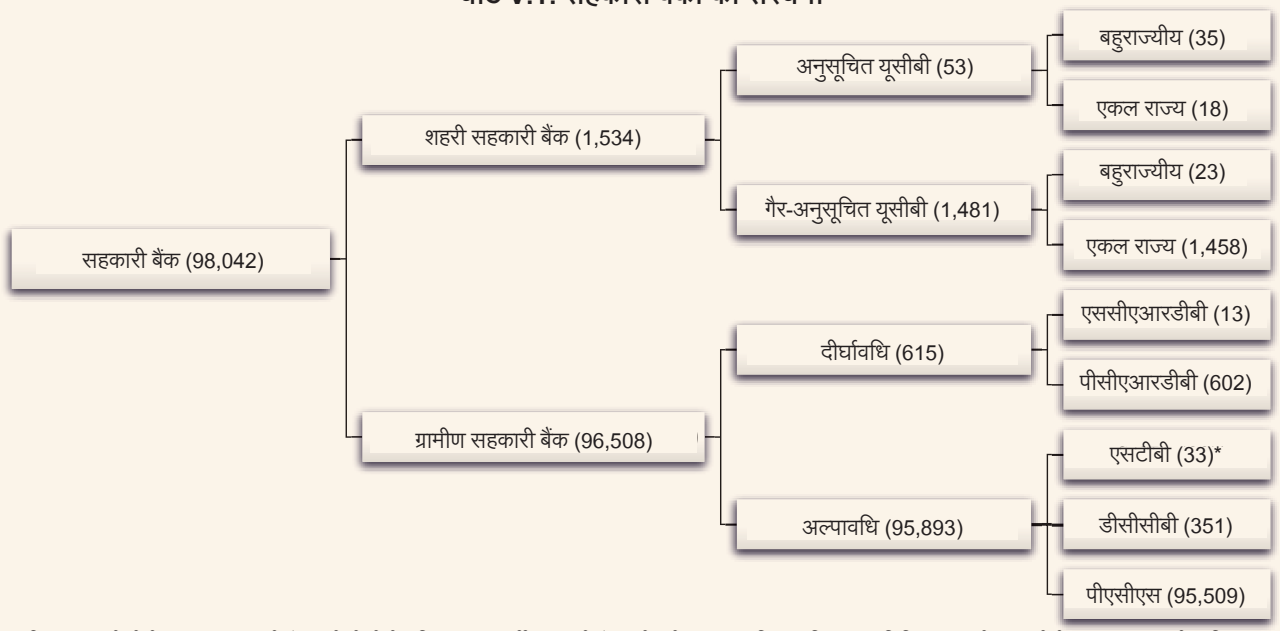

टिप्पणी: 1. एसटीसीबी : राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; पीएसीएस : प्राथमिक कृषि ऋण समितियां; एससीएआरडीबी : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी : प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2. कोष्ठकों में दिए आंकड़े मार्च 2021 के अंत में यूसीबी को एवं मार्च 2020 के अंत में ग्रामीण सहकारी बैंकों के संस्थानों को दर्शाते हैं।

* दमन और दीव एसटीसीबी को छोड़कर जसि अभी गोवा एसटीसीबी से पूरी तरह अलग कयिा जाना है।

स्रोत: भा.रि.बैंक, नाबार्ड और एनएएफ़एससीओबी।

यूसीबी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934[3] की दूसरी अनुसूची में शामिल करने या अन्यथा और उनके भौगोलिक पहुँच (एकल-राज्य या बहु-राज्य) के आधार पर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरी ओर, ग्रामीण सहकारी समितियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है-अल्पावधिक और दीर्घावधिक। मार्च 2021 के अंत में, 98,042 सहकारी समितियां थीं, जिनमें 1,534 यूसीबी और 96,508 ग्रामीण सहकारी समितियां शामिल थी[4] (चार्ट V.1)।

V.4 समय के साथ सहकारी बैंकों का संबंधित आकार और परिणामस्वरूप प्रभाव कम होता जा रहा है। मार्च 2020 के अंत में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का कुल तुलन-पत्र आकार ₹18.8 लाख करोड़ था, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के समेकित तुलन-पत्र के 10 प्रतिशत के करीब था, जो वर्ष 2004-05 में 19.4 प्रतिशत से कम था। ग्रामीण सहकारी समितियां, विशेष रूप से अल्पावधिक, संख्या और कुल आस्ति आकार दोनों के मामले में अपने शहरी समकक्षों पर भारी है (चार्ट V.2)।

3. शहरी सहकारी बैंक

V.5 1990 के दशक में वित्तीय उदारीकरण शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के ब्याज दर अविनियमन के माध्यम से भी प्रतिध्वनित हुआ था जिसने व्यापक परिचालन मार्जिन के साथ नए कारोबारियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि एक उदार लाइसेंसिंग नीति ने इस क्षेत्र में प्रवेश करने संबंधी बाधाओं को कम किया। यूसीबी की संख्या 1991 में 1,307 से बढ़कर 2004 में 2,105 हो गई, साथ ही जमाराशियों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) भी 18 प्रतिशत हो गई[5]। हालांकि, बाद के वर्षों में, कुछ संस्थाओं में वित्तीय कमजोरी

[3] अनुसूचित सहकारी बैंकों के अलावा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भी अधिनियम की इसी अनुसूची में शामिल किया गया है।

[4] ग्रामीण सहकारी समितियों से संबंधित आंकड़े एक वर्ष के अंतराल के साथ उपलब्ध हैं, अर्थात वे वर्ष 2019-20 से संबंधित हैं।

[5] शहरी सहकारी बैंकों के लिए विज़न दस्तावेज़, 2005।

चार्ट V.2: आस्ति के आकार के अनुसार सहकारी बैंकों का विभाजन
(मार्च 2020 के अंत में)

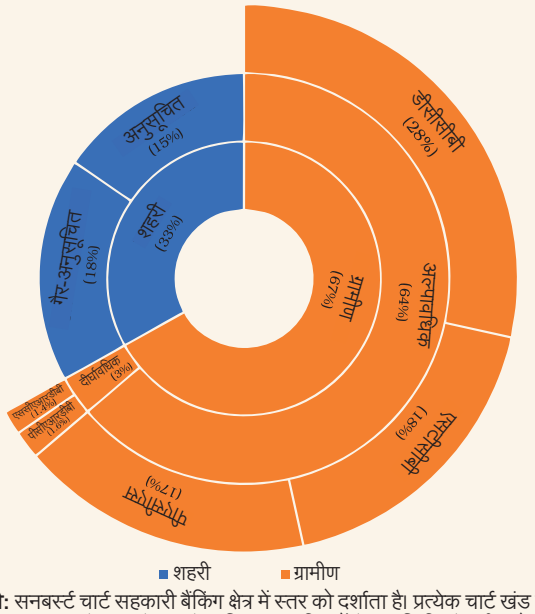

टिप्पणी: सनबर्स्ट चार्ट सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में स्तर को दर्शाता है। प्रत्येक चार्ट खंड का आकार मार्च 2020 के अंत में इस क्षेत्र की कुल आस्तियों में इसकी हिस्सेदारी (कोष्ठक में वर्णित) के अनुपात में है।
स्रोत: भा.रि.बैंक, नाबार्ड और एनएएफ़एससीओबी।

चार्ट V.3: यूसीबी की संख्या

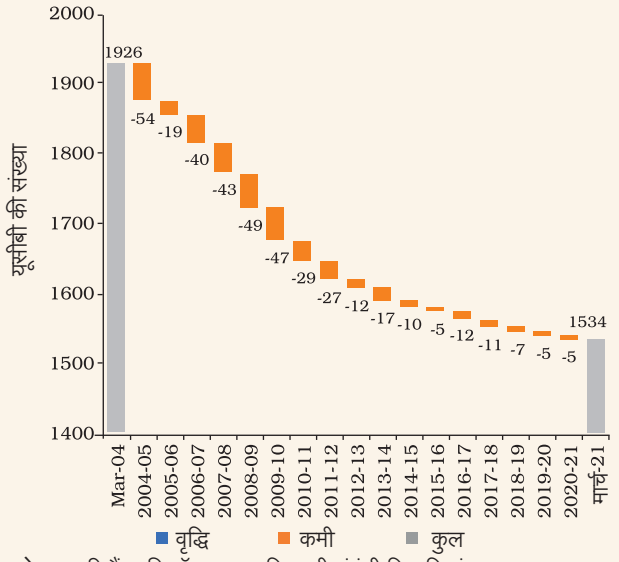

स्रोत: भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

से उनके प्रणालीगत प्रभाव के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुईं। रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र में समेकन की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें अव्यवहार्य शहरी सहकारी बैंकों को उनके व्यवहार्य समकक्षों के साथ मिलाना, अव्यवहार्य संस्थाओं को बंद करना और नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाना शामिल है। परिणामस्वरूप, मार्च 2021 के अंत तक शहरी सहकारी बैंकों की संख्या उत्तरोत्तर कम होकर 1,534 हो गई (चार्ट V.3)।

V.6 वर्ष 2004-05 से लेकर मार्च 2021 तक, समेकन अभियान में कुल 136 विलय हुए हैं, जिनमें से तीन-चौथाई से अधिक दो राज्यों अर्थात, महाराष्ट्र और गुजरात में हुए हैं (चार्ट V.4ए)। विलय प्रक्रिया के साथ लाइसेन्स निरस्तीकरण भी जारी थी, जिससे वर्ष 2015-16 से कुल 44 यूसीबी का लाइसेन्स निरस्त किया गया था। गैर-अनुसूचित श्रेणी में होने वाले अधिकांश

चार्ट V.4: यूसीबी में समेकन अभियान

ए: यूसीबी विलय का भौगोलिक विभाजन
(मार्च 2021 के अंत तक संचयी)

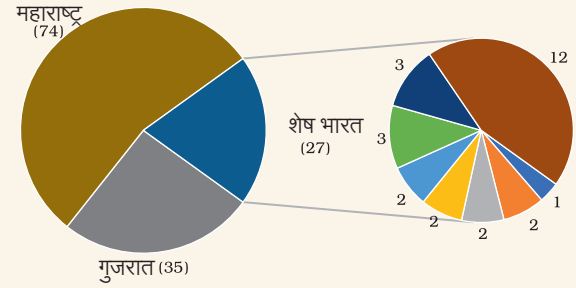

बी: लाइसेन्स निरसन

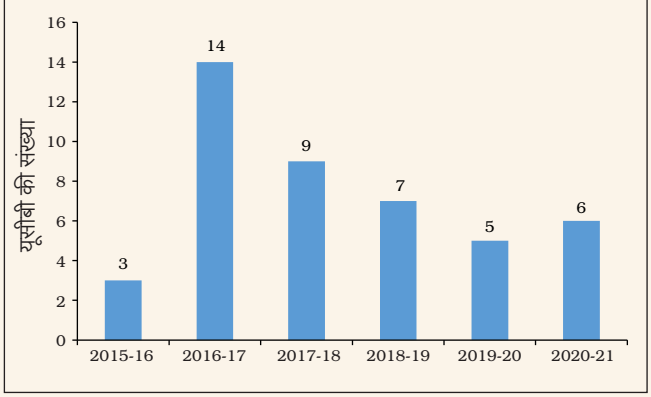

स्रोत: भा.रि.बैंक

चार्ट V.5: तुलन-पत्र संकेतक: यूसीबी *बनाम* एससीबी

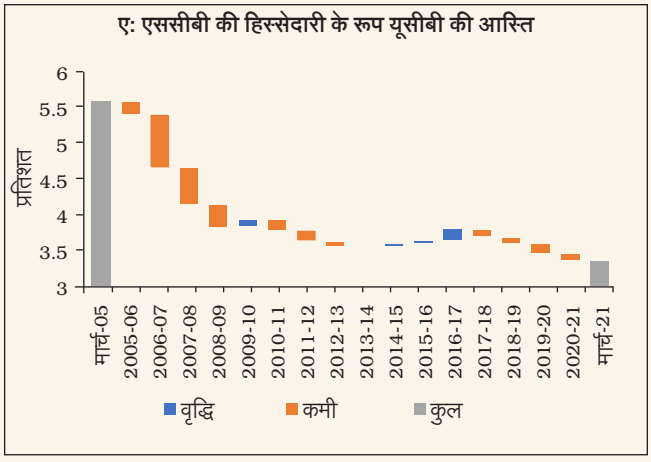

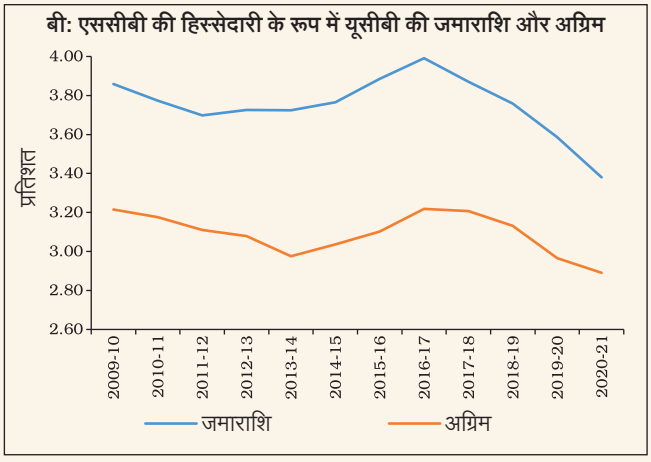

स्रोत: भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

समामेलन और समापन से अनुसूचित यूसीबी (एसयूसीबी) की संख्या मोटे तौर पर स्थिर बनी हुई है (चार्ट V.4बी)।

V.7 शहरी सहकारी बैंकों की व्यापक स्थानीय मौजूदगी के बावजूद, बैंकिंग प्रतिनिधि नेटवर्क और फिनटेक का लाभ उठाकर एससीबी द्वारा उनके ग्राहक हिस्सेदारी को तेजी से अपने में शामिल किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, एससीबी के अनुपात के रूप में यूसीबी का कुल तुलन-पत्र आकार मार्च 2005 के अंत में 5.6 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2021 के अंत में 3.4 प्रतिशत हो गया (चार्ट V.5ए)। जमाराशि और अग्रिम में उनकी हिस्सेदारी में भी आनुपातिक रूप से गिरावट हुई है। (चार्ट V.5बी)

V.8 विनियामकीय उद्देश्यों के लिए, यूसीबी को उनके जमाकर्ता आधार के आधार पर टिअर- I और टिअर- II श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है[6]। टिअर-II श्रेणी का प्रभुत्व मुख्य रूप से उनके जमाकर्ता आधार में विस्तार होने के कारण बढ़ा है (सारणी V.1)।

सारणी V.1: शहरी सहकारी बैंकों का टिअर-वार वितरण
(मार्च 2021 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

टिअर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमाराशि		अग्रिम		आस्तियां	
	संख्या	कुल में %	संख्या	कुल में %	संख्या	कुल में %	संख्या	कुल में %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
टिअर I	846	55.1	33,854	6.4	19,188	6.1	44,120	6.7
टिअर II	688	44.9	4,93,128	93.6	2,93,577	93.9	6,13,731	93.3
सभी यूसीबी	**1,534**	**100.0**	**5,26,982**	**100.0**	**3,12,765**	**100.0**	**6,57,851**	**100.0**

टिप्पणी: आंकड़ें अनंतिम हैं।
स्रोत: भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

[6] (ए) टिअर I यूसीबी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: i) एक ही जिले में परिचालनगत ₹100 करोड़ से कम जमाराशि वाले बैंक, ii) एक से अधिक जिलों में परिचालनगत ₹100 करोड़ से कम जमाराशि वाले बैंकों को टिअर I के रूप में माना जाएगा बशर्ते शाखाएं निकटवर्ती जिलों में हो और एक जिले में शाखाओं की जमाराशि और अग्रिम क्रमशः अलग-अलग बैंक की कुल जमाराशियों और अग्रिमों का कम से कम 95 प्रतिशत हो, और iii) ₹100 करोड़ से कम जमाराशि वाले वैसे बैंक को भी टिअर I यूसीबी के रूप में भी माना जा सकता है, जिनकी शाखाएं मूल रूप से एक ही जिले में थी लेकिन बाद में, जिले के पुनर्गठन के कारण एक से अधिक जिले बन गए।

(बी) अन्य सभी यूसीबी को टिअर- II यूसीबी के रूप में परिभाषित किया गया है।

V.9 वर्ष 2019 में एक बड़े यूसीबी की विफलता के बाद, रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू की। हालाँकि, इस प्रकरण से वो समस्याएँ सामने आईं जो कई वर्षों से बनी हुई थी। वर्ष 2020 में किए गए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में विधायी संशोधन ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम माने गए हैं, जिसका जिक्र पहले किया गया था। इसके अलावा, यूसीबी संबंधी विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री एन एस विश्वनाथन) ने इस क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के उपायों की सिफारिश की (बॉक्स V.1)।

3.1 तुलन-पत्र

V.10 वर्ष 2004-05 में शुरू किए गए समेकन अभियान से लगभग एक दशक तक उत्साहजनक परिणाम मिले, जिसमें यूसीबी का संयुक्त तुलन-पत्र 14 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ा। हालांकि, वर्ष 2017-18 के बाद से, धीमी वृद्धि चरण ने वर्ष 2020-21 तक सही बनाए रखा। वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक, एसयूसीबी का इस क्षेत्र की वृद्धि में प्रमुख योगदान था; हालांकि, तब से गैर-अनुसूचित यूसीबी (एनएसयूसीबी) ने गति पकड़ी है। कुल मिलाकर, यह क्षेत्र पिछले चार वर्षों में एससीबी की तुलना में धीमी गति से बढ़ रहा है (चार्ट V.6)।

बॉक्स V.1: प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2021 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री एन.एस. विश्वनाथन) का गठन किया। 31 जुलाई 2021 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में समिति ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की हैं:

- जमा के आकार के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों को चार स्तरों में वर्गीकृत करके उनका स्केल-आधारित अलग-अलग विनियमन:

मदें	टिअर-1	टिअर-2	टिअर-3	टिअर-4
वर्गीकरण आधार	सभी इकाई यूसीबी और वेतन पाने वालों के यूसीबी, और सभी यूसीबी जिनका जमा आधार ₹100 करोड़ तक है	₹100 करोड़ से ₹1,000 करोड़ के बीच जमा आधार	₹1,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ के बीच जमा आधार	₹10,000 करोड़ से अधिक का जमा आधार
निवल मालियत/ सीआरएआर	एक जिले में परिचालनगत बैंकों के लिए कम से कम ₹2 करोड़ और अन्य के लिए ₹5 करोड़। न्यूनतम सीआरएआर 9 प्रतिशत, अतिरिक्त सीआरएआर 2.5 प्रतिशत प्रत्येक के पास निर्धारित न्यूनतम निवल मालियत नहीं होने और अम्ब्रेला संगठन (यूओ) का सदस्य नहीं होने पर।	न्यूनतम सीआरएआर 15 प्रतिशत (क्रेडिट जोखिम पर), जिसे बैंक के यूओ का सदस्य हो जाने पर 1 प्रतिशत घटाया जा सकता है।	एसएफबी पर लागू न्यूनतम 15 प्रतिशत सीआरएआर	यूनिवर्सल बैंकों पर लागू बासल III मानदंडों के अनुसार सीआरएआर
क्षेत्रवार एक्सपोजर उच्चतम सीमा	आवास ऋणों पर अधिकतम एक्सपोजर, एकबारगी चुकौती शर्तों के साथ स्वर्ण ऋणों और गैर-जमानती अग्रिमों को उनकी टिअर 1 पूंजी के साथ जोड़ा जाएगा जो कि विनियामकीय-निर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन होगा।	आवास ऋण पर अधिकतम एक्सपोजर, एकबारगी चुकौती शर्तों के साथ स्वर्ण ऋण और गैर-जमानती अग्रिमों को उनकी अपनी बोर्ड-अनुमोदित सीमा के साथ उनकी टिअर 1 पूंजी के साथ सम्बद्ध किया जाना।	जैसा कि एसएफ़बी पर लागू होता है	जैसा कि यूनिवर्सल बैंकों पर लागू होता है
यूओ की सदस्यता	सदस्यता के लिए प्रोत्साहन जिसमें सदस्य न होने पर उच्च सीआरएआर अपेक्षाएं होती हैं।		स्वैच्छिक सदस्यता	

- समिति ने यूओ के परिचालन में तेजी लाने की सिफारिश की, जिसके लिए वर्ष 2019 में रिज़र्व बैंक द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। इसने सिफारिश की कि यूओ के पर्याप्त पूंजी के साथ वित्तीय रूप से मजबूत रहने के लिए ₹300 करोड़ की न्यूनतम पूंजी बनाए रखा जाए, जबकि संगठन के पास एनबीएफसी के सबसे वृहत खंड के लिए उसी व्यवस्था के समान एक विनियामकीय फ्रेमवर्क होगा है;
- यूसीबी द्वारा जारी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में उपयुक्त संशोधन किए जा सकते हैं ताकि रिज़र्व बैंक सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए गए लिखतों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के उद्देश्य से "प्रतिभूतियों" के रूप में अधिसूचित कर सके ताकि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर उनकी सूचीबद्धता और व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- टिअर 3 और टिअर 4 यूसीबी को अपेक्षित प्रौद्योगिकी और साधनों से युक्त प्रीमियम पर शेयर निर्गम करने की अनुमति दी जा सकती है;
- पर्यवेक्षी कार्रवाई फ्रेमवर्क के मामले में, समिति ने मौजूदा तिहरा संकेतकों अर्थात, आस्ति की गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता; के बजाए जोड़ा संकेतक दृष्टिकोण, यानी ट्रिगर के रूप में सिर्फ निवल एनपीए और सीआरएआर को अपनाने की सिफारिश की।
- कमजोर यूसीबी के लिए उपचारात्मक कार्रवाई के रूप में, रिज़र्व बैंक को दबाव के प्रारंभिक चरण में उन्हें स्वैच्छिक विलय की ओर प्रेरित करना होगा। ऐसे मामलों के लिए जहां विवेकपूर्ण अपेक्षाएँ निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरी नहीं होती हैं और स्वैच्छिक समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं, वहाँ समिति ने अनिवार्य विलय की सिफारिश की है;
- समिति ने यूओ के स्थिर होने के बाद नए लाइसेंस निर्गमन की भी सिफारिश की।

चार्ट V.6: आस्ति वृद्धि

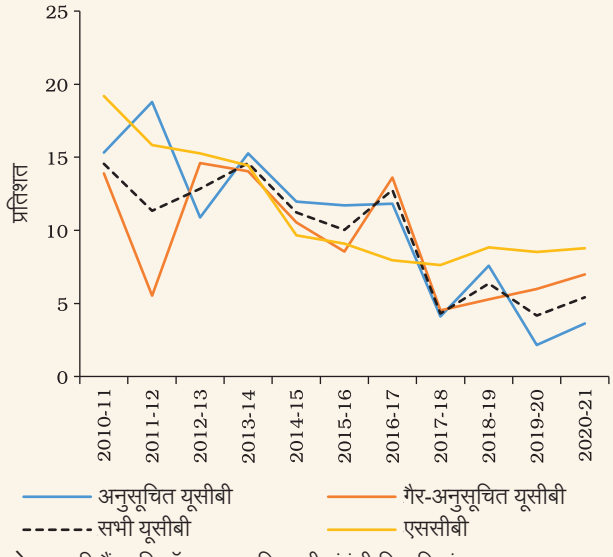

स्रोत: भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.11 वर्ष 2020-21 में यूसीबी के तुलन-पत्र वृद्धि का कारण देयता पक्ष में जमा और आस्ति पक्ष में निवेश हो सकता है, जिसमें से दोनों की अगुआई एनएसयूसीबी ने की थी। परिचालनगत लाभ में वृद्धि यूसीबी की निवल मालियत (पूंजी के साथ-साथ आरक्षित निधि और अधिशेष) में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जबकि रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि और निवेश में वृद्धि अतिरिक्त चलनिधि की स्थिति के बावजूद ऋण वृद्धि की कमी से उत्पन्न हुई है। महामारी के प्रकोप के बाद, कुछ प्रमुख एसयूसीबी ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रिज़र्व बैंक की रिपो विंडो से भारी उधार लिया था। मार्च 2021 के अंत में, एसयूसीबी की कुल उधारी आधारभूत प्रभाव पर घट गई (सारणी V.2)।

V.12 एसयूसीबी और एनएसयूसीबी का तुलन-पत्र संरचना अलग है, जहां एनएसयूसीबी के पास एक बड़ा जमा आधार है और उधारियों पर बहुत कम निर्भर है। एसयूसीबी की तरह, एनएसयूसीबी को भी सीआरआर और अन्य सांविधिक आरक्षित निधि बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हालांकि, पहले वाले

सारणी V.2 : शहरी सहकारी बैंकों का तुलन-पत्र

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ में)

मदें	अनुसूचित यूसीबी		गैर–अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		वृद्धि दर (%) सभी यूसीबी	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देयताएँ								
1) पूंजी	4,415 (1.5)	4,467 (1.5)	9,696 (2.9)	9,765 (2.7)	14,111 (2.3)	14,233 (2.2)	3.9	0.9
2) आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	14,896 (5.1)	15,836 (5.3)	18,423 (5.5)	21,354 (6.0)	33,319 (5.3)	37,190 (5.7)	-10.6	11.6
3) जमाराशियां	2,29,706 (78.9)	2,39,576 (79.5)	2,71,124 (81.4)	2,87,406 (80.7)	5,00,830 (80.3)	5,26,982 (80.1)	3.4	5.2
4) उधारियां	5,003 (1.7)	3,748 (1.2)	334 (0.1)	314 (0.1)	5,337 (0.9)	4,062 (0.6)	-1.0	-23.9
5) अन्य देयताएं और प्रावधान	36,950 (12.7)	37,913 (12.6)	33,518 (10.1)	37,471 (10.5)	70,467 (11.3)	75,385 (11.5)	20.4	7.0
आस्तियां								
1) उपलब्ध नकदी	1,797 (0.6)	1,676 (0.6)	4,037 (1.2)	4,212 (1.2)	5,835 (0.9)	5,888 (0.9)	8.3	0.9
2) आरबीआई में शेष जमाराशि	9,804 (3.4)	11,121 (3.7)	2,792 (0.8)	3,418 (1.0)	12,595 (2.0)	14,539 (2.2)	-8.4	15.4
3) बैंकों में शेष जमाराशि	18,526 (6.4)	21,906 (7.3)	47,719 (14.3)	47,694 (13.4)	66,245 (10.6)	69,600 (10.6)	8.6	5.1
4) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय जमाराशि	6,260 (2.2)	5,087 (1.7)	2,135 (0.6)	1,792 (0.5)	8,395 (1.3)	6,879 (1.0)	39.8	-18.1
5) निवेश	75,175 (25.8)	80,278 (26.6)	86,328 (25.9)	99,872 (28.0)	1,61,504 (26.0)	1,80,150 (27.4)	3.0	11.5
6) ऋण एवं अग्रिम	1,41,151 (48.5)	1,43,201 (47.5)	1,64,138 (49.3)	1,69,564 (47.6)	3,05,289 (48.9)	3,12,765 (47.5)	0.7	2.4
7) अन्य आस्तियां	38,257 (13.2)	38,271 (12.7)	25,945 (7.8)	29,760 (8.4)	64,201 (10.3)	68,031 (10.3)	20.8	6.0
कुल देयताएं/आस्तियां	**2,90,970** (100.0)	**3,01,540** (100.0)	**3,33,094** (100.0)	**3,56,311** (100.0)	**6,24,064** (100.0)	**6,57,851** (100.0)	**4.2**	**5.4**

टिप्पणीयां : 1. मार्च 2021 से संबंधित आंकड़ें अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों (प्रतिशत में) के अनुपात में हैं।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

चार्ट V.7: जमाराशि एवं अग्रिम: एससीबी *बनाम* यूसीबी

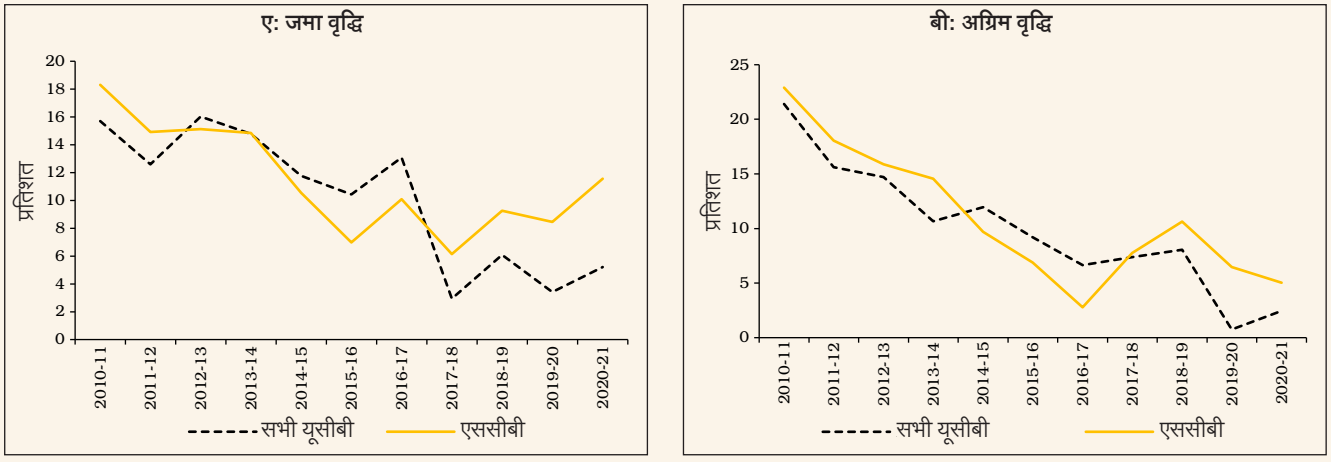

स्रोत: भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

के विपरीत, बाद वाले के पास इसे रिज़र्व बैंक के पास नहीं रखने का विकल्प होता है और अन्य विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं के पास इसे रख सकता है। परिणामस्वरूप, वे अपने पास और बैंकों के पास अधिक नकदी रखते हैं, जबकि रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि नहीं रखते हैं।

V.13 एक दशक से अधिक समय से, देयताओं के पक्ष में जमाराशियाँ और आस्ति पक्ष में ऋण और अग्रिम में कमी के कारण यूसीबी का समेकित तुलन-पत्र घट रहा है। हालाँकि, मुख्य रूप से एनएसयूसीबी की वजह से यह प्रवृत्ति वर्ष 2020-21 के दौरान विपरीत हो गयी।

V.14 वर्ष 2016-17 तक, यूसीबी की जमा वृद्धि दर एससीबी की तुलना में अधिक थी, लेकिन पिछले चार वर्षों में यूसीबी की जमा वृद्धि एससीबी की तुलना में उत्तरोत्तर खराब रही है, जिसका आंशिक कारण नए जमाने के बैंकों का आगमन है, जो जमाराशि पर बेहतर प्रतिलाभ देते हैं (चार्ट V.7ए)।

V.15 वर्ष 2020-21 के दौरान, यूसीबी के अग्रिमों में मामूली वृद्धि हुई, जबकि एससीबी के ऋण में गिरावट आयी। वर्ष 2019-20 के दौरान एसयूसीबी द्वारा झेले गए ऋण संकुचन बाद के वित्तीय वर्ष में स्थिति उलट गयी।

V.16 यूसीबी, विशेष रूप से एनएसयूसीबी के लिए ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात हमेशा एससीबी की तुलना में काफी कम रहा है। यह अपेक्षाकृत कम ऋण संवितरण और जमा पर अधिक निर्भरता के कारण है। पिछले दो वर्षों के दौरान, एसयूसीबी के सीडी अनुपात में गिरावट आई है क्योंकि सभी के लिए ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से कम थी और एनएसयूसीबी के साथ अभिरूपित थी (चार्ट V.8)।

चार्ट V.8: ऋण-जमा अनुपात: यूसीबी *बनाम* एससीबी

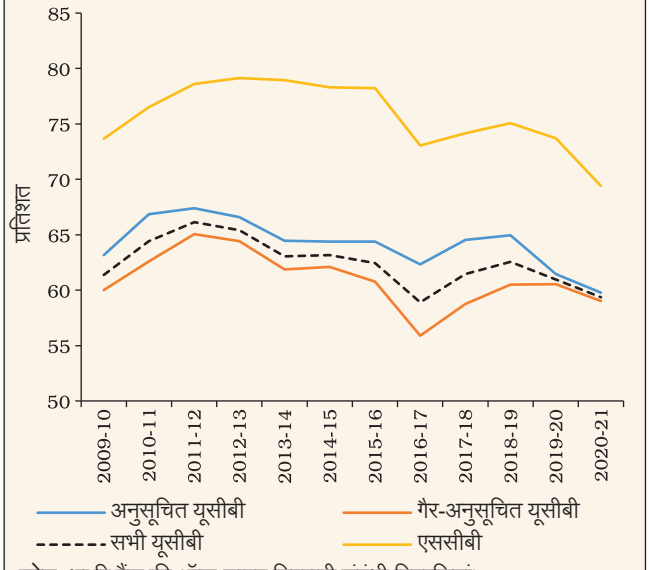

स्रोत: भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

चार्ट V.9 : आस्ति के आकार के अनुसार यूसीबी का विभाजन

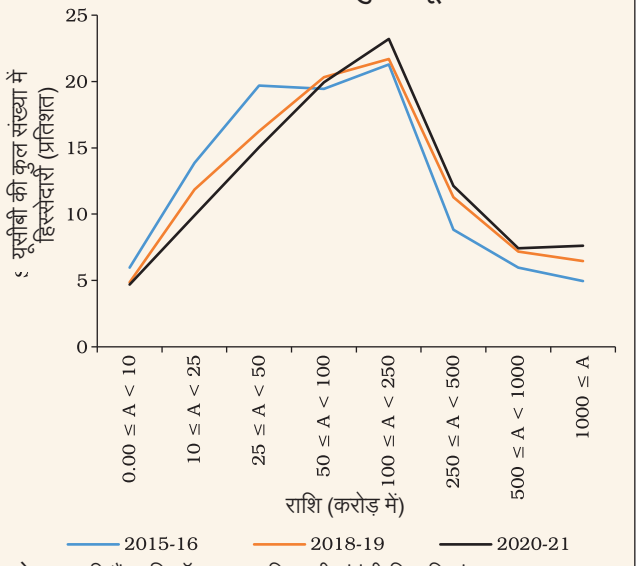

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

चार्ट V.10: जमाराशियों और अग्रिमों के अनुसार यूसीबी का विभाजन
(मार्च 2021 के अंत में)

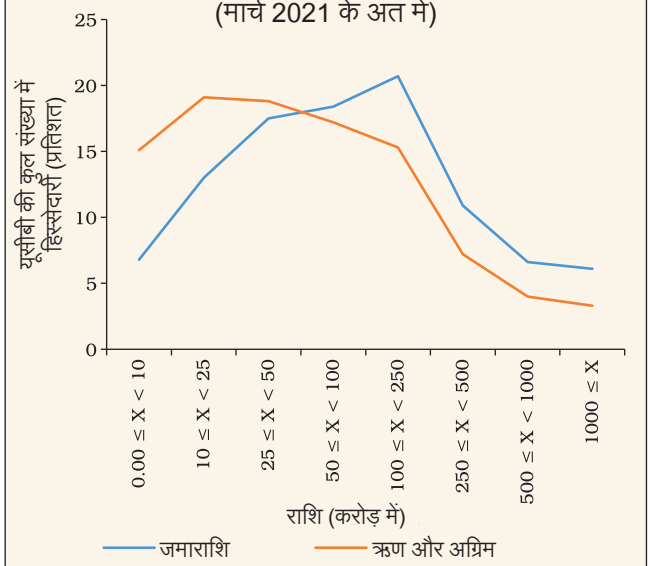

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.17 आस्ति आकार के संदर्भ में यूसीबी के विभाजन में समय के साथ बदलाव आया है, जो समेकन अभियान का परिणाम है। वर्ष 2015-16 से, ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़ मॉडल वर्ग के रूप में उभरा, लेकिन विभाजन सही दिशा में हो गया है, जो उच्च स्तर पर आस्ति संकेंद्रण को दर्शाता है (चार्ट V.9)।

V.18 जमाराशि के संदर्भ में यूसीबी का विभाजन आस्ति विभाजन के पैटर्न का अनुसरण करता है, जिसमें मॉडल वर्ग के रूप में ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़ तक शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में, प्रति ग्राहक औसत जमाराशि में वृद्धि के परिणामस्वरूप यह विभाजन भी सही हुआ है। इसके विपरीत, अग्रिम संरचना भिन्न होती है, जिसमें मॉडल वर्ग ₹10 करोड़ से ₹25 करोड़ होता है (सारणी V.3 और चार्ट V.10)।

V.19 वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण उठाव मंद रहा, लेकिन जमाराशियों में वृद्धि हुई। अनुसूचित के साथ ही गैर-अनुसूचित

सारणी V.3 : जमाराशियों और अग्रिमों के अनुसार यूसीबी का विभाजन
(31 मार्च 2021 के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

जमाराशि	यूसीबी की संख्या		कुल जमाराशि		अग्रिम	यूसीबी की संख्या		कुल अग्रिम	
	संख्या	% हिस्सेदारी	संख्या	% हिस्सेदारी		संख्या	% हिस्सेदारी	संख्या	% हिस्सेदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00 ≤ ज < 10	105	6.8	563	0.1	0.00 ≤ अ < 10	231	15.1	1,223	0.4
10 ≤ ज < 25	199	13.0	3,445	0.7	10 ≤ अ < 25	293	19.1	4,936	1.6
25 ≤ ज < 50	268	17.5	9,832	1.9	25 ≤ अ < 50	289	18.8	10,176	3.3
50 ≤ ज < 100	282	18.4	20,132	3.8	50 ≤ अ < 100	264	17.2	19,258	6.2
100 ≤ ज < 250	318	20.7	50,166	9.5	100 ≤ अ < 250	235	15.3	37,791	12.1
250 ≤ ज < 500	167	10.9	57,526	10.9	250 ≤ अ < 500	110	7.2	38,472	12.3
500 ≤ ज < 1000	102	6.6	70,299	13.3	500 ≤ अ < 1000	62	4.0	42,783	13.7
1000 ≤ ज	93	6.1	3,15,018	59.8	1000 ≤ अ	50	3.3	1,58,125	50.6
कुल	**1,534**	**100.0**	**5,26,982**	**100.0**	**Total**	**1,534**	**100**	**3,12,765**	**100.0**

टिप्पणी : 1. आंकड़ें अनंतिम हैं।
2. 'ज' और 'अ' क्रमशः जमाराशि और अग्रिम को दर्शाते हैं।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

सारणी V.4: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	बकाया राशि (मार्च 2020 के अंत में)			घट-बढ़ (%)	
	2019	2020	2021	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6
कुल निवेश (ए+बी)	**1,56,799**	**1,61,504**	**1,80,150**	**3.0**	**11.6**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**		
ए. एसएलआर निवेश (i से iii)	**1,39,447**	**1,41,901**	**1,60,560**	**1.8**	**13.1**
	(88.9)	**(87.9)**	**(89.1)**		
(i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	98,174	96,289	1,02,147	-1.9	6.1
	(62.6)	(59.6)	(56.7)		
(ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	40,596	44,418	57,944	9.4	30.4
	(25.9)	(27.5)	(32.2)		
(iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	678	1,194	470	76.2	-60.6
	(0.4)	(0.7)	(0.3)		
बी. एसएलआर से इतर निवेश	**17,351**	**19,603**	**19,590**	**13.0**	**-0.1**
	(11.1)	**(12.1)**	**(10.87)**		

टिप्पणी: 1. वर्ष 2021 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल निवेश के अनुपात को दर्शाते हैं।
स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

सहकारी बैंकों ने आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में अपने निवेश में वृद्धि की - वास्तव में, एनएसयूसीबी का निवेश एसएलआर प्रतिभूतियों के कारण एससीबी के बराबर 16 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जो कि गैर-एसएलआर निवेश में गिरावट के लिए क्षतिपूरित से अधिक था। (सारणी V.4 और चार्ट V.11ए)।

V.20 मार्च 2021 के अंत में, यूसीबी के कुल निवेश का 89 प्रतिशत एसएलआर लिखतों में था, जिसमें से आधे से अधिक केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में था (चार्ट V.11बी)। विगत कुछ वर्षों से कम ऋण मांग और प्रतिलाभ की तलाश ने राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश को प्रोत्साहित किया। इसके परिणामस्वरूप, यूसीबी के निवेश में केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का अनुपात मार्च 2016 के अंत में 73 प्रतिशत से घटकर मार्च 2021 के अंत में 57 प्रतिशत हो गया।

चार्ट V.11: यूसीबी द्वारा निवेश

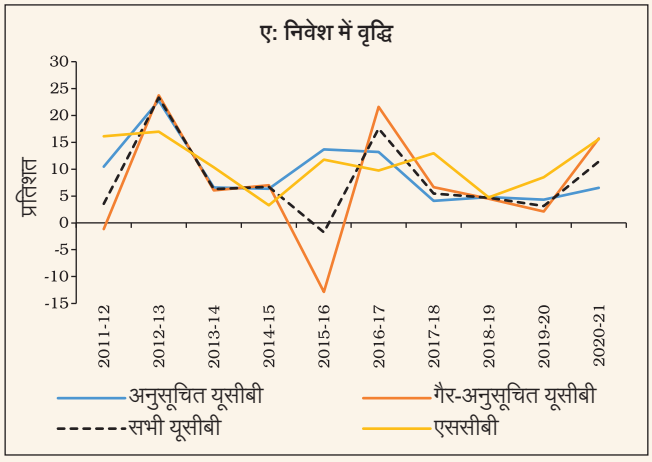

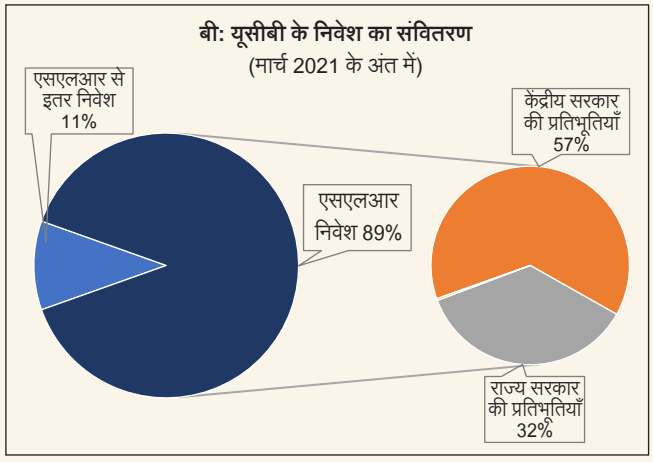

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

3.2 सुदृढ़ता

V.21 हाल के वर्षों में यूसीबी की वित्तीय सुदृढ़ता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा बड़ी संख्या में यूसीबी को पर्यवेक्षी कार्रवाई फ्रेमवर्क (एसएएफ़) के दायरे में लाया जा रहा है[7]। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान जुर्माना लगाने के दृष्टांत विगत वर्ष के 9 से बढ़कर 43 हो गए (सारणी V.14 का संदर्भ ग्रहण करें)। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा निपटाए गए दावे पूरी तरह से सहकारी बैंकों से संबंधित थे।

V.22 यूसीबी की वित्तीय मजबूती का आकलन करने वाली सीएएमईएलएस-आधारित रेटिंग प्रणाली[8] की समीक्षा वर्ष 2019 में की गयी। संशोधित मॉडल सीएएमईएलएस के अलग-अलग घटक के भारित औसत रेटिंग के आधार पर यूसीबी को ए/बी+/बी/सी/डी (प्रदर्शन के घटते क्रम में) का मिश्रित रेटिंग देता है। मार्च 2021 के अंत में, संख्या-वार और कारोबार के अनुसार दोनों में 'बी' श्रेणी मॉडल वर्ग बना जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक यूसीबी इस श्रेणी के अंतर्गत आ गईं (सारणी V.5)।

V.23 भले ही नई रेटिंग प्रणाली के स्तर की तुलना पुराने वाले के स्तर से पूरी तरह नहीं की जा सकती है, लेकिन समय के साथ यूसीबी की रेटिंग में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 'ए' रेटिंग वाले यूसीबी के अनुपात में गिरावट आई है, जबकि 'सी' और 'डी' रेटिंग वाले यूसीबी में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें अभी यूसीबी की कुल संख्या का 25 प्रतिशत से अधिक शामिल हैं। यूसीबी की जमाराशियों और अग्रिमों के योग के रूप में परिकलित बैंकिंग कारोबार ने यूसीबी की संख्या के विभाजन का अनुसरण किया है, और 'ए' रेटिंग वाली संस्थाओं के लिए लगातार नीचे आ गया है (चार्ट V.12)।

3.3 पूंजी पर्याप्तता

V.24 यूसीबी बासल I मानदंडों द्वारा अभिशासित होते हैं जिसके तहत उन्हें 9 प्रतिशत का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में न्यूनतम पूंजी अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखना

सारणी V.5 : यूसीबी का रेटिंग के अनुसार विभाजन

(मार्च 2021 के अंत में)

(राशि करोड़ में)

रेटिंग	संख्या		जमाराशि		अग्रिम	
	बैंक	कुल में % हिस्सा	राशि	कुल में % हिस्सा	राशि	कुल में % हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7
ए	131	8.5	36,120	6.9	21,611	6.9
बी+	201	13.1	82,390	15.6	48,598	15.5
बी	792	51.6	2,74,145	52	1,66,349	53.2
सी	324	21.1	1,10,269	20.9	64,274	20.6
डी	86	5.6	24,058	4.6	11,933	3.8
कुल	**1,534**	**100**	**5,26,982**	**100**	**3,12,765**	100

टिप्पणियां: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
3. रेटिंग नवीनतम उपलब्ध निरीक्षण संबंधित आंकड़ों पर आधारित हैं।
4. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹.करोड़ में पूर्णांकित कर दिया गया है।

स्रोत : भा. रि. बैंक की ऑफ साइट निगरानी संबंधी विवरणियाँ

चार्ट V.12 : रेटिंग श्रेणियों के अनुसार यूसीबी का संख्या-वार एवं कारोबार-वार विभाजन

(मार्च अंत)

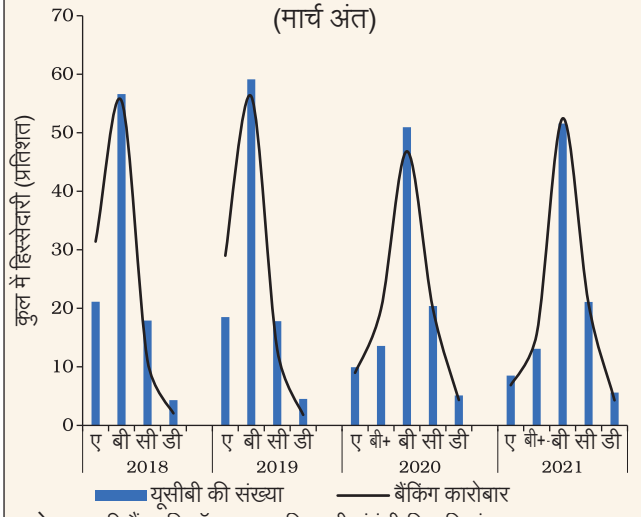

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

[7] यूसीबी के लिए एसएएफ एससीबी के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के समतुल्य है। यह फ्रेमवर्क यूसीबी द्वारा स्वयं या रिज़र्व बैंक द्वारा सीआरएआर, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के लिए निर्दिष्ट सीमाओं के उल्लंघन पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने को निर्दिष्ट करता है।

[8] सीएएमईएलएस (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, कमाई, चलनिधि, और सिस्टम एवं नियंत्रण) रेटिंग मॉडल में इसका वर्तमान स्वरूप अप्रैल 2008 से यूसीबी पर लागू हो गया।

चार्ट V.13: 9 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले यूसीबी की हिस्सेदारी
(मार्च अंत)

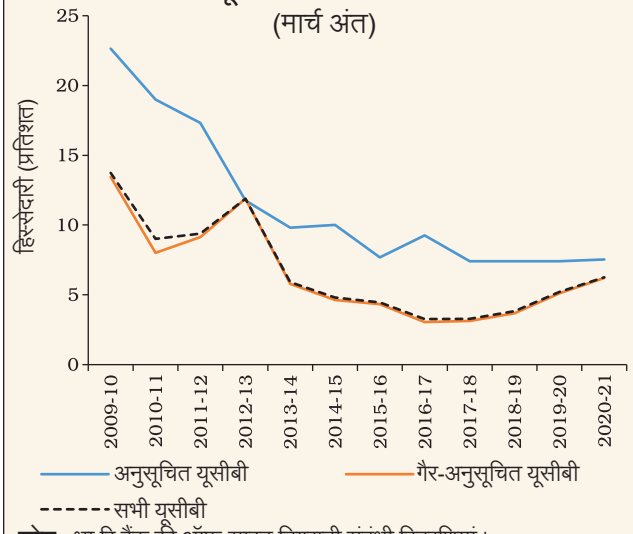

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

अपेक्षित है। एसयूसीबी की पूंजी की स्थिति में वर्ष 2009-10 से सुधार हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में न्यूनतम विनियामकीय सीआरएआर का उल्लंघन करने वाले बैंकों की संख्या में कमी आयी है। हालांकि, एनएसयूसीबी के मामले में, वर्ष 2016-17 से 9 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले बैंकों का अनुपात बढ़ा है, जो उनकी वित्तीय स्थिति में कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं (चार्ट V.13)।

V.25 इस पहलू के दूसरी तरफ, प्रत्येक श्रेणी में 80 प्रतिशत से अधिक यूसीबी ने 12 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर के साथ मजबूत पूंजी बफर बनाए रखा (सारणी V.6 और परिशिष्ट सारणी V.1)।

सारणी V.6 : यूसीबी का सीआरएआर-वार वितरण
(मार्च 2021 के अंत में)

बैंकों की संख्या

सीआरएआर (प्रतिशत में)	अनुसूचित यूसीबी	गैर –अनुसूचित यूसीबी	सभी यूसीबी
1	2	3	4
सीआरएआर < 3	4	57	61
3 <= सीआरएआर < 6	0	11	11
6 <= सीआरएआर < 9	0	24	24
9 <= सीआरएआर < 12	4	160	164
12 <= सीआरएआर	45	1,229	1,274
कुल	**53**	**1,481**	**1,534**

टिप्पणी : आंकड़ें अनंतिम हैं।
स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.26 यूसीबी के सीआरएआर में मार्च 2021 के अंत में एक साल पहले की तुलना में सुधार दर्ज किया गया। एनएसयूसीबी, जिनके पास एसयूसीबी की तुलना में बेहतर पूंजी स्थिति है, ने एक और सुधार रिपोर्ट किया, जिसका मुख्य कारण उनकी जोखिम-भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में कमी है। भले ही एससीबी के लिए अनिवार्य अन्य पूंजी आवश्यकताएं जैसे पूंजी संरक्षण बफर और न्यूनतम सामान्य इक्विटी टिअर 1 (सीईटी-I) पूंजी यूसीबी पर लागू नहीं होती हैं, फिर भी उन्होंने एक चूककर्ता यूसीबी से होने वाली गिरावट के बावजूद टिअर -1 पूंजी के पर्याप्त स्तर को बनाए रखा, तथापि यह एससीबी से कम था (सारणी V.7)।

सारणी V.7: यूसीबी की घटकवार पूंजी पर्याप्तता
(मार्च के अंत तक)

(राशि करोड़ में)

	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2020	**2021**	**2020**	**2021**	**2020**	**2021**
1 पूंजीगत निधियाँ	**13,407**	**13,794**	**25,408**	**27,610**	**38,815**	**41,404**
i) टिअर I पूंजी	7,521	8,000	22,009	24,011	29,530	32,011
ii) टिअर II पूंजी	5,886	5,794	3,399	3,600	9,285	9,393
2 जोखिम भारित आस्तियां	**1,42,573**	**1,45,767**	**1,75,015**	**1,68,622**	**3,17,588**	**3,14,388**
3 सीआरएआर (2 के % रूप में 1)	**9.4**	**9.5**	**14.5**	**16.4**	**12.2**	**13.2**
जिसमें से:						
टिअर I	5.3	5.5	12.6	14.2	9.3	10.2
टिअर II	4.1	4.0	2.0	2.1	2.9	3.0

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

3.4 आस्ति गुणवत्ता

V.27 वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान, यूसीबी की तुलना में एससीबी में चूक दर अधिक थी। पिछले दो वर्षों के दौरान स्थिति उलट गई क्योंकि एससीबी की सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) का अनुपात गिर गया, जबकि यूसीबी के लिए, यह वर्ष 2020-21 तक बढ़त पर रहा है। इस क्षेत्र के भीतर, एसयूसीबी और एनएसयूसीबी दोनों को जीएनपीए अनुपात में वृद्धि का सामना करना पड़ा, जिसमें एनएसयूसीबी को तेज उच्च गिरावट का अनुभव हुआ था (चार्ट V.14)।

V.28 जनवरी 2020 में, यूसीबी के लिए एसएएफ को संशोधित किया गया, जिससे निवल एनपीए अनुपात 6 प्रतिशत से अधिक हो गया, जो सुधारात्मक कार्रवाई की शुरुआत करने की वजह बनी। गिरावट बढ़ते जाने से इसने प्रावधान में बढ़ोतरी करने के लिए प्रेरित किया है (सारणी V.8)।

V.29 ₹5 करोड़ और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले बड़े उधार खाते यानी, एससीबी और यूसीबी के साथ-साथ एसयूसीबी और एनएसयूसीबी के बीच विविध व्यवहार प्रदर्शित करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, यूसीबी के कुल वित्त पोषित ऋण का 25 प्रतिशत और उनके एनपीए का 32 प्रतिशत बड़े उधार खातों से उत्पन्न हुआ, जबकि एससीबी के लिए क्रमशः 51 प्रतिशत ऋण और एनपीए का 66 प्रतिशत था। शहरी सहकारी बैंकों के भीतर, बड़े उधारकर्ताओं के प्रति एनएसयूसीबी का एक्सपोजर वर्ष के दौरान उनके कुल ऋणों के 10 प्रतिशत से कम था, जबकि एसयूसीबी की हिस्सेदारी 44 प्रतिशत थी।

चार्ट V.14 : एनपीए अनुपात: यूसीबी *बनाम* एससीबी

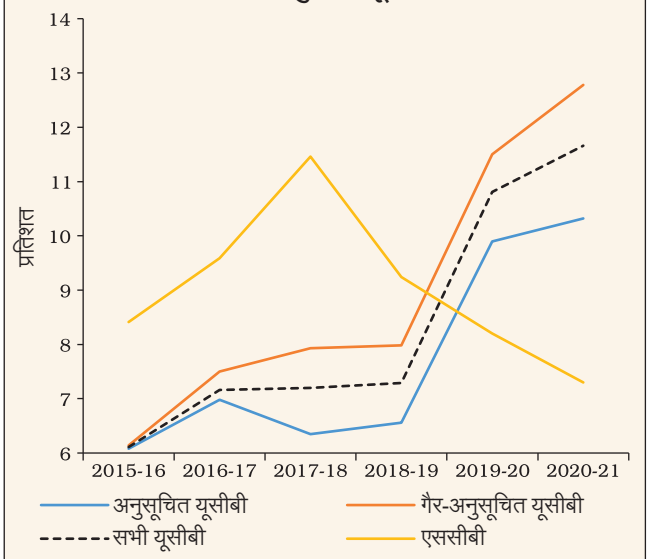

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.30 बड़े उधारकर्ताओं से होने वाले एनपीए सभी बैंक समूहों में ऐसे उधारकर्ताओं को उधार देने की तुलना में आनुपातिक रूप से अधिक रहे हैं (चार्ट V.15)। हालांकि, वर्ष 2019-20 की तुलना में उधार और एनपीए दोनों में उल्लेखनीय कमी आई है। इसका कारण जनवरी 2020 का विनियमन हो सकता है जिसने छोटे पैमाने पर उधार को प्रोत्साहित करते हुए यूसीबी के बड़े एक्सपोजर को कम किया। बाद वाले मानदंड के लिए आवश्यक है कि यूसीबी के कुल ऋण और अग्रिम का कम से कम 50 प्रतिशत या उनकी टिअर- I पूंजी का 0.2 प्रतिशत, जो भी

सारणी V.8 : यूसीबी की अनर्जक आस्तियां

(मार्च अंत तक)

क्र. सं.	मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सकल एनपीए (₹ करोड़)	13,779	14,785	18,443	21,674	32,222	36,459
2	सकल एनपीए अनुपात (%)	9.8	10.3	11.3	12.8	10.6	11.7
3	निवल एनपीए (₹ करोड़)	5,051	5,264	8,167	7,981	13,217	13,245
4	निवल एनपीए अनुपात (%)	3.8	3.9	5.3	5.1	4.6	4.6
5	प्रावधानीकरण (₹ करोड़)	8,728	9,521	10,276	13,693	19,004	23,214
6	प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (%)	63.4	64.4	55.7	63.2	59.0	63.7

टिप्पणी : वर्ष 2020-21 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

चार्ट V.15: बड़े उधार खाते – उधारी *बनाम* एनपीए

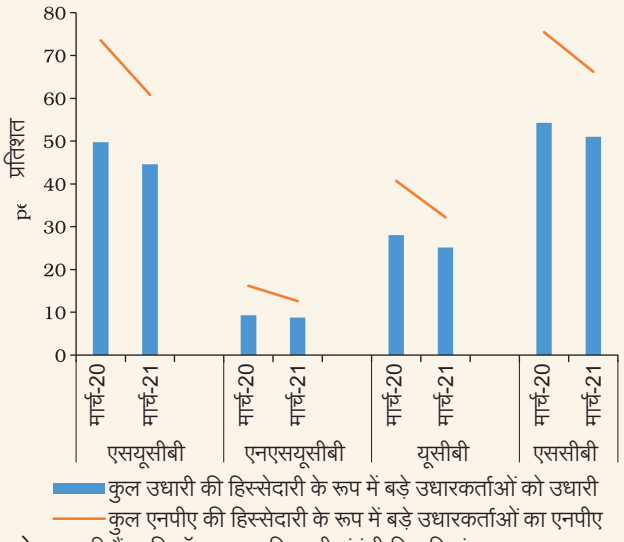

स्रोत : भा.रि.बैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

अधिक हो, को ₹25 लाख से कम के ऋण आकार के लिए तैयार किया जाना चाहिए[9]।

V.31 विशेष उल्लेख खाता अनुपात की सभी श्रेणियां जैसे एसएमए-0, एसएमए-1 और एसएमए-2 के साथ-साथ बड़े उधार खातों का एनपीए अनुपात एससीबी की तुलना में यूसीबी का अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान, एसएमए-0 और एसएमए-2[10] अनुपात में गिरावट आई, जो इस क्षेत्र में शुरू से ही दबाव को दर्शाता है (चार्ट V.16ए)। यह यूसीबी की दोनों श्रेणियों में परिलक्षित हुआ (चार्ट V.16बी)।

3.5 वित्तीय प्रदर्शन और लाभप्रदता

V.32 वर्ष 2019-20 में, , बड़े पैमाने पर नुकसान दर्ज करने के बाद-मुख्य रूप से एक बड़े एसयूसीबी के कारण-यूसीबी के वित्तीय प्रदर्शन में 2020-21 में सुधार हुआ लेकिन उन्हें 2018-19 में हासिल किए गए लाभ के स्तर पर वापस आना बाकी है। कम उधारी के कारण एसयूसीबी के ब्याज व्यय में कमी के परिणामस्वरूप समग्र व्यय में गिरावट आई। ब्याज से होने वाली आय, जो लगातार दो वर्षों से घट रही थी, निवेश में वृद्धि के कारण 2020-21 के दौरान बढ़ी। गैर-ब्याज आय में वृद्धि के साथ-साथ यूसीबी की कुल आय में तेजी आयी। वर्ष 2019-20 में एसयूसीबी के प्रावधानों और आकस्मिकताओं में हुई अप्रत्याशित रूप से उच्च वृद्धि के कारण समेकित क्षेत्र के

चार्ट V.16: बड़े उधार खातों में दबाव

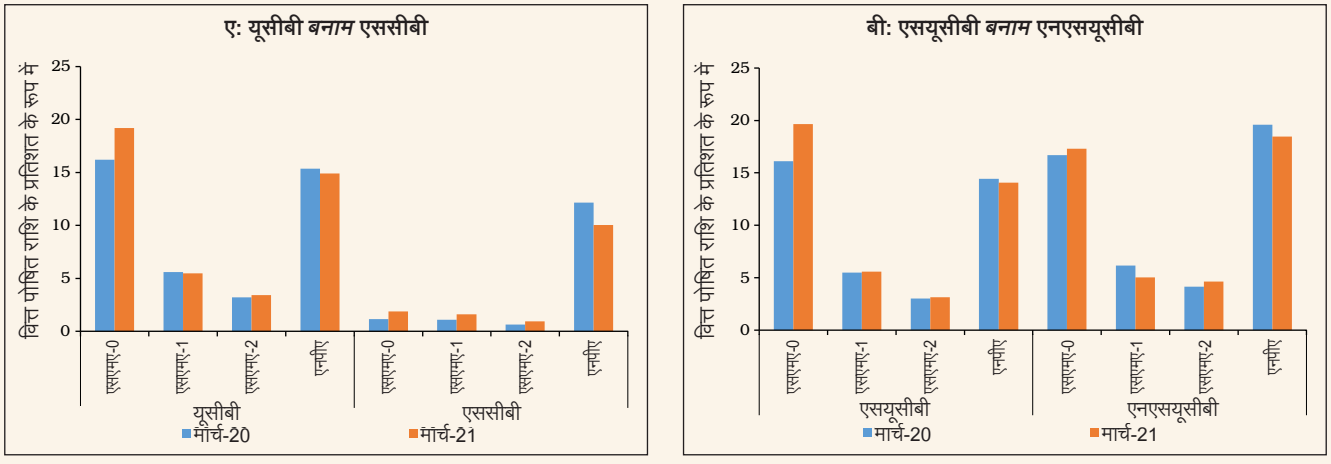

स्रोत: केंद्रीय बृहत ऋण सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) डेटाबेस।

[9] https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11819&Mode=0 पर उपलब्ध है।

[10] विशेष उल्लेख खाते, यानी, एसएमए-0, एसएमए-1 और एसएमए-2, उन ऋण खातों को दर्शाता है जिनमें मूलधन और ब्याज भुगतान क्रमशः 30 दिनों, 60 दिनों और 90 दिनों से अतिदेय हैं।

सारणी V.9 : अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	अनुसूचित यूसीबी		गैर-अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी		सभी यूसीबी घट-बढ़ (%)
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8
ए. कुल आय (i + ii)	**20,307**	**23,430**	**29,777**	**30,348**	**50,084**	**53,778**	**7.4**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	
i. ब्याज से होने वाली आय	16,920	19,524	27,811	27,887	44,731	47,411	6.0
	(83.3)	(83.3)	(93.4)	(91.9)	(89.3)	(88.2)	
ii. ब्याज से इतर होने वाली आय	3,387	3,905	1,966	2,462	5,353	6,367	19.0
	(16.7)	(16.7)	(6.6)	(8.1)	(10.7)	(11.8)	
बी. कुल व्यय (i + ii)	**20,877**	**19,764**	**25,780**	**25,865**	**46,657**	**45,630**	**-2.2**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	
i. ब्याज से होने वाले व्यय	14,659	13,501	18,518	18,653	33,177	32,154	-3.1
	(70.2)	(68.3)	(71.8)	(72.1)	(71.1)	(70.5)	
ii. ब्याज से इतर व्यय	6,217	6,263	7,262	7,212	13,480	13,476	-0.03
	(29.8)	(31.7)	(28.2)	(27.9)	(28.9)	(29.5)	
जिसमें से : स्टाफ पर व्यय	2,833	2,731	3,895	3,892	6,728	6,622	-1.6
सी. लाभ							
i. परिचालनगत लाभ की राशि	-569	3,665	3,986	4,483	3,417	8,148	138.5
ii. प्रावधान, आकस्मिक निधियां	4,722	2,007	2,977	2,073	7,699	4,080	-47.0
iii. करों के लिए प्रावधान	356	603	927	717	1,283	1,320	2.9
iv. कर पूर्व निवल लाभ राशि	-5,292	1,659	1,009	2,410	-4,282	4,069	195.0
v. कर पश्चात निवल लाभ राशि	-5,648	1,056	82	1,693	-5,566	2,749	149.4

टिप्पणियाँ : 1. वर्ष 2020-21से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
3. प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ा भिन्न हो सकता है क्योंकि निरपेक्ष संख्याओं को ₹. करोड़ में पूर्णांकित कर दिया गया है।
4. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें कुल आय/व्यय के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)

स्रोत : भारिबैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

लिए निवल हानि हुई थी। यह स्थिति उलट गयी जिसके कारण वर्ष के दौरान निवल लाभ में वृद्धि हुई (सारणी V.9 और परिशिष्ट सारणी V.2)।

V.33 ब्याज आय यूसीबी की कुल आय का 88 प्रतिशत रहा, जबकि ब्याज व्यय उनके कुल व्यय का 70 प्रतिशत रहा। दो समूहों एसयूसीबी और एनएसयूसीबी की कुल आय संरचना अलग है - एसयूसीबी की तुलना में एनएसयूसीबी ब्याज से होने वाले आय पर अधिक निर्भर हैं, जबकि व्यय संरचना दोनों समूहों के लिए समान है।

V.34 वर्ष 2020-21 में लाभप्रदता के सभी संकेतक हरे रंग में थे। एसयूसीबी की तुलना में एनएसयूसीबी अधिक लाभप्रद रहे। आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई), जो वर्ष 2019-20 में एसयूसीबी के लिए ऋणात्मक थी, वर्ष 2020-21 के दौरान धनात्मक रही। निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) की एक साल पहले की न्यूनतम दर में सुधार हुआ। (सारणी V.10 और चार्ट V.17)।

3.6. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

V.35 यूसीबी हेतु प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों को मार्च 2020 में संशोधित किया गया। उन्हें अपने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र वाले ऋण पोर्टफोलियो को मार्च 2024 की समाप्ति तक अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी)

सारणी V.10 : यूसीबी के चुनिंदा लाभप्रदता संकेतक

(प्रतिशत)

संकेतक	अनुसूचित यूसीबी		गैर अनुसूचित यूसीबी		सभी यूसीबी	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7
आस्तियों पर प्रतिलाभ	-1.96	0.36	0.03	0.49	-0.91	0.43
इक्विटी पर प्रतिलाभ	-26.95	5.33	0.29	5.71	-11.32	5.56
निवल ब्याज मार्जिन	0.79	2.03	2.87	2.68	1.89	2.38

टिप्पणी : वर्ष 2020-21 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : भारिबैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

चार्ट V.17 : लाभप्रदता संकेतक - एसयूसीबी *बनाम* एनएसयूसीबी

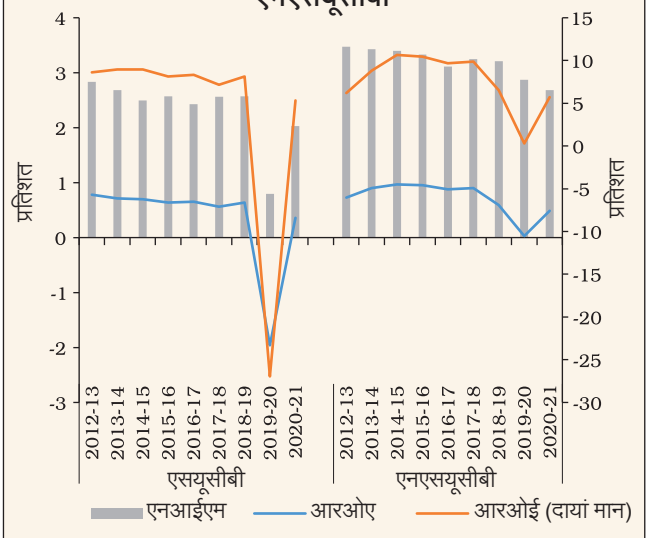

स्रोत : भारिबैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि (सीईओबीई), जो भी अधिक हो, का 75 प्रतिशत तक उत्तरोत्तर बढ़ाना अपेक्षित है[11]। यूसीबी ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों से अधिक ऋण दिया। (चार्ट V.18)।

चार्ट V.18 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण
(मार्च के अंत में)

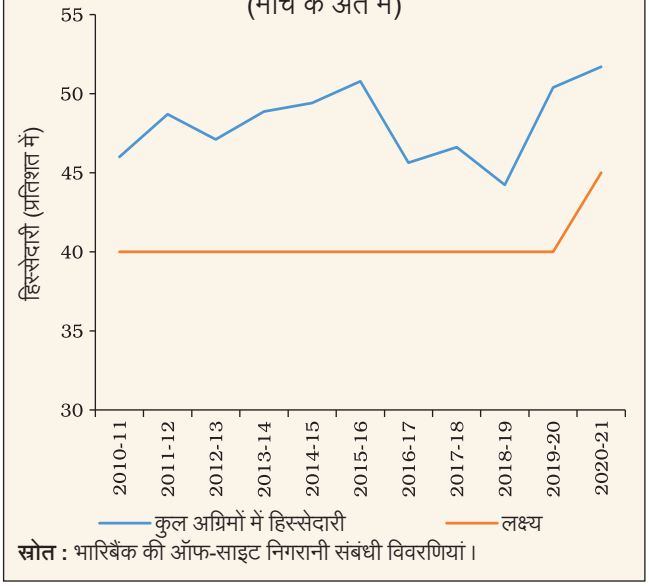

स्रोत : भारिबैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

V.36 नए मानदंडों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2020-21 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार का लक्ष्य एएनबीसी या सीईओबीई के 45 प्रतिशत से उच्चतर निर्धारित किया गया, जो कि पिछले साल के लक्ष्य से 5 प्रतिशत अंक अधिक था। यूसीबी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को आसानी से पूरा करने में सफल रहे। यद्यपि यूसीबी ने कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत अग्रिम उधार देने के उप-लक्ष्य का पालन किया, तथापि वर्ष 2020-21 में ऐसे ऋणों की हिस्सेदारी में गिरावट आई। यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण की संरचना से पता चलता

सारणी V.11 : यूसीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण का संघटन
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2020		2021	
	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्सेदारी (%)
1. कृषि [(i)+(ii)+(iii)]	11,716	3.8	12,245	3.9
(i) कृषि ऋण	8,682	2.8	8,913	2.8
(ii) कृषि अवसंरचना	500	0.2	676	0.2
(iii)सहायक गतिविधियाँ	2,534	0.8	2,701	0.9
2. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम [(i) + (ii) +(iii) + (iv)]	95,102	31.1	1,01,340	32.4
(i) सूक्ष्म उद्यम	31,497	10.3	34,301	11.0
(ii) लघु उद्यम	49,569	16.2	46,128	14.8
(iii)मध्यम उद्यम	13,648	4.5	20,547	6.6
(iv) केवीआई को अग्रिम (एमएसएमई को दिये गए अन्य वित्त सहित)	387	0.1	365	0.1
3. निर्यात ऋण	378	0.1	368	0.1
4. शिक्षा	2,434	0.8	2,374	0.8
5. आवास	25,359	8.3	25,211	8.1
6. सामाजिक अवसंरचना	923	0.3	1,185	0.4
7. अक्षय ऊर्जा	1,476	0.5	1,291	0.4
8. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 'अन्य' श्रेणी	16,496	5.4	17,694	5.7
9. कुल (1 से 8)	**1,53,886**	**50.4**	**1,61,708**	**51.7**
जिसमें से, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर तबकों को दिया गया ऋण	35,764	11.7	33,590	10.7

टिप्पणियाँ : 1. 2021 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।
2. प्रतिशत हिस्सेदारी यूसीबी के कुल ऋण के संदर्भ में हैं।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : भारिबैंक की ऑफ-साइट निगरानी संबंधी विवरणियां।

[11] 13 मार्च, 2020 को जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, यूसीबी को क्रमश: मार्च 2021, 2022, 2023 और 2024 के अंत तक एएनबीसी और सीईओबीई, जो भी अधिक हो, के क्रमशः 45 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के लक्ष्य, का पालन करना होगा।

है कि प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र की कुल उधारी में से 63 प्रतिशत अग्रिम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को और 16 प्रतिशत आवास क्षेत्र को दिया गया है (सारणी V.11)।

4. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

V.37 ग्रामीण सहकारी संस्थाएं, जिनका मार्च 2020 के अंत तक सभी सहकारी संस्थाओं की आस्तियों में लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा था, वे अपने शहरी समकक्षों से उनके परिचालन क्षेत्र, पहुंच तथा प्रदर्शन के साथ-साथ देयताओं की संरचना के मामले में अलग हैं। जहां एक व्यापक जमाकर्ता आधार यूसीबी को अपेक्षाकृत कम लागत पर धन जुटाने में सक्षम बनाता है, वहीं ग्रामीण सहकारी संस्थाएं अपने परिचालन के लिए उधार पर बहुत अधिक निर्भर हैं - मार्च 2020 के अंत की स्थिति के अनुसार उधारियाँ यूसीबी की देयताओं का लगभग 1 प्रतिशत थी, जो ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के लिए 27 प्रतिशत के बराबर थी।

V.38 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के बीच, अल्पावधिक संस्थाओं जिसमें राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस) शामिल हैं, की स्थापना किसानों और ग्रामीण कारीगरों को फसल ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए की गई है। दूसरी ओर, दीर्घावधिक सहकारी संस्थानों - एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी - का अधिदेश भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण और लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योग और आवास सहित कृषि में निवेश के लिए धन उपलब्ध कराना है। एक दशक से अधिक समय से, कुल आस्तियों में दीर्घावधिक ऋण सहकारी संस्थाओं की हिस्सेदारी मार्च 2020 के अंत तक गिरकर करीब 5 प्रतिशत से थोड़ी अधिक हो गई है, जो मोटे तौर पर कुल निवेश में कृषि निवेश के सिकुड़ते हिस्से के अनुरूप है (चार्ट V.19ए)। साथ ही, उनका वित्तीय प्रदर्शन भी खराब रहा है: मार्च 2020 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के एनपीए और निवल हानि में उनकी हिस्सेदारी कुल आस्तियों की तुलना में अधिक थी (चार्ट V.19बी और सारणी V.12)

4.1 अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

V.39 प्रारंभ में अल्पावधिक फसल ऋण प्रदान करने के लिए गठित अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थान गैर-कृषि क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्रों को सावधि ऋण, और व्यक्तिगत तथा आवास ऋण, के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों को कवर करने के लिए अपने कार्यों में विविधता ला रहे हैं। वर्तमान में, 20 राज्यों में त्रि-स्तरीय संरचना है, जिसमें राज्य स्तर पर एसटीसीबी, जिला स्तर पर डीसीसीबी और ग्राम स्तर पर पीएसीएस कार्य कर रहे हैं, उनमें से झारखंड

चार्ट V.19 : दीर्घावधि *बनाम* अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाएं
(मार्च 2020 के अंत में)

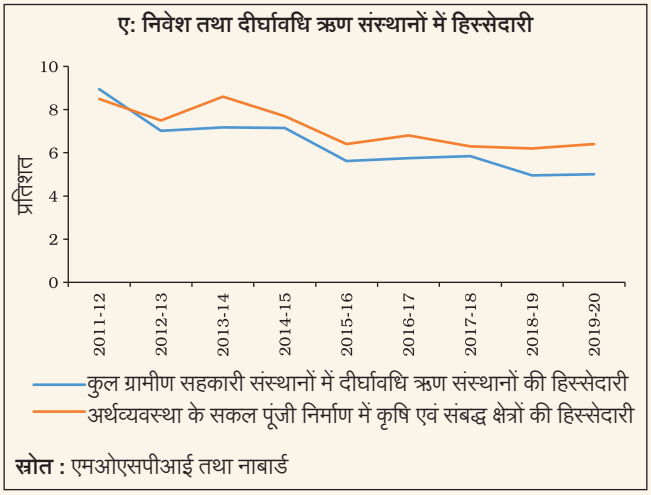

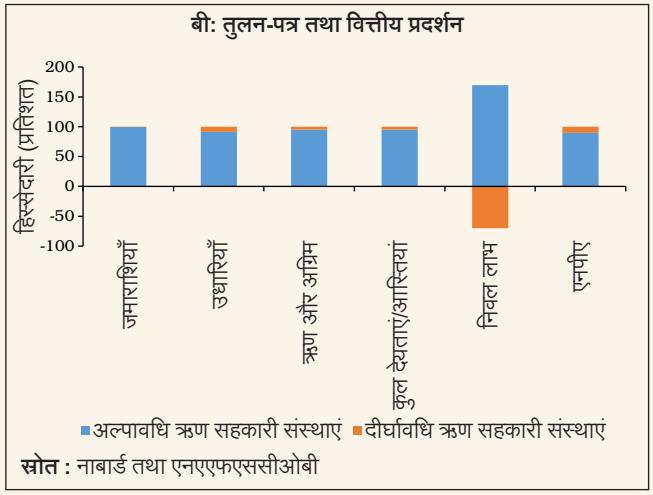

सारणी V.12 : ग्रामीण सहकारी संस्थानों का प्रोफाइल
(31 मार्च 2020 के अंत में)

(राशि करोड़ में)

मद	अल्पावधि			दीर्घावधि	
	एसटीसीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीएआरडीबी (अ)	पीसीएआरडीबी (अ)
1	2	3	4	5	6
ए. सहकारी संस्थानों की संख्या	33*	351**	95,509	13	602
बी. तुलन-पत्र के संकेतक					
i. स्वाधिकृत निधियाँ (पूंजी + आरक्षित निधियाँ)	21,900	43,246	43,741	4,859	3,673
ii. जमाराशियां	2,10,342	3,45,682	1,65,476	2,409	1,372
iii. उधारियां	85,723	97,448	1,38,571	13,710	16,643
iv. ऋण एवं अग्रिम	1,99,943	2,79,272	2,14,533	20,700	15,819
v. कुल देयताएँ/आस्तियां	3,40,267	5,35,977	3,25,322	27,104	31,337
सी. वित्तीय प्रदर्शन					
i. लाभ में रहने वाले संस्थान					
ए. संख्या	32	291	47,027	10	227
बी. लाभ की राशि	1,740	1,887	6,531	287	86
ii. हानि में रहने वाले संस्थान					
ए. संख्या	1	60	37,369	3	375
बी. लाभ की राशि	16	1,041	8,325	35	657
iii. समग्र लाभ (+)/हानि (-)	1,724	846	-1,794	252	-571
डी. अर्नजक आस्तियां					
i. राशि	13,477	35,298	70,160	6,836	6,815
ii. बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	6.7	12.6	31.0	33.0	43.1
ई. मांग-ऋण वसूली अनुपात * (प्रतिशत)**	94.4	70.2	69.3	43.1	44.1

टिप्पणियां : 1. एसटीसीबी : राज्य सहकारी बैंक; डीसीसीबी : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; पीएसीएस : प्राथमिक कृषि ऋण समितियां; एससीएआरडीबी : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक; पीसीएआरडीबी : प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
2. (अ) आंकड़े अनंतिम हैं।
3. * दमन और दीव के एसटीसीबी (जिसे गोवा के एसटीसीबी से पूर्णत: अलग किया जाना शेष है) के आंकड़े गोवा के एसटीसीबी के साथ रिपोर्ट किए गए हैं।
4. **: तमिलनाडु औद्योगिक सहकारी बैंक लि. (टीएआईसीओ) को छोड़कर
5. ***: यह अनुपात बकाया अर्नजक ऋण राशि के उस हिस्से को दर्शाता है, जिसकी वसूली की जा चुकी है और 30 जून 2019 को।

स्रोत : एनएएफएससीओबी और नाबार्ड

और केरल[12] में केवल एक-एक डीसीसीबी है, जबकि बाकी का समामेलन संबंधित एसटीसीबी के साथ कर दिया गया है। 9 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में, उन्हें दो स्तरीय संरचना में व्यवस्थित किया गया है, जिसमें केवल एसटीसीबी और पीएसीएस शामिल हैं।

V.40 अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में, एसटीसीबी निवल लाभ में आनुपातिक रूप से उच्च हिस्सेदारी और एनपीए में कम हिस्सेदारी के साथ अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। दूसरी ओर, पीएसीएस उधार पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जो अधिक निवल घाटा उठाते हैं, और ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के एनपीए में बड़ी हिस्सेदारी शामिल है (चार्ट V.20ए)।

V.41 क्षेत्रीय उपस्थिति के संदर्भ में, एसटीसीबी की शाखाएं दक्षिणी राज्यों में सकेंद्रित हैं। पश्चिमी क्षेत्र में डीसीसीबी की शाखाओं और पीएसीएस की उच्चतर हिस्सेदारी है। पीएसीएस की पूर्वी क्षेत्र में भी पर्याप्त उपस्थिति है, जबकि डीसीसीबी की उत्तर-पूर्वी राज्यों में कोई उपस्थिति नहीं है (चार्ट V.20बी)।

4.1.1 राज्य सहकारी बैंक

V.42 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) ग्रामीण सहकारी संरचना में शीर्ष संस्थान हैं और इस तरह वे अन्य दो स्तरों को चलनिधि और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। मार्च 2020 के अंत की स्थिति के अनुसार, उन्होंने पूरे देश में

[12] भारतीय रिज़र्व बैंक के अंतिम अनुमोदन के उपरांत केरल की 14 में से 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का 29 नवंबर 2019 को केरल राज्य सहकारी बैंक लि. में समामेलन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त पंजाब के डीसीसीबी को पंजाब राज्य सहकारी बैंक लि. के साथ विलय करने का पंजाब की राज्य सरकार को 8 जून, 2020 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

चार्ट V.20 : अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की तुलना
(मार्च 2020 के अंत में)

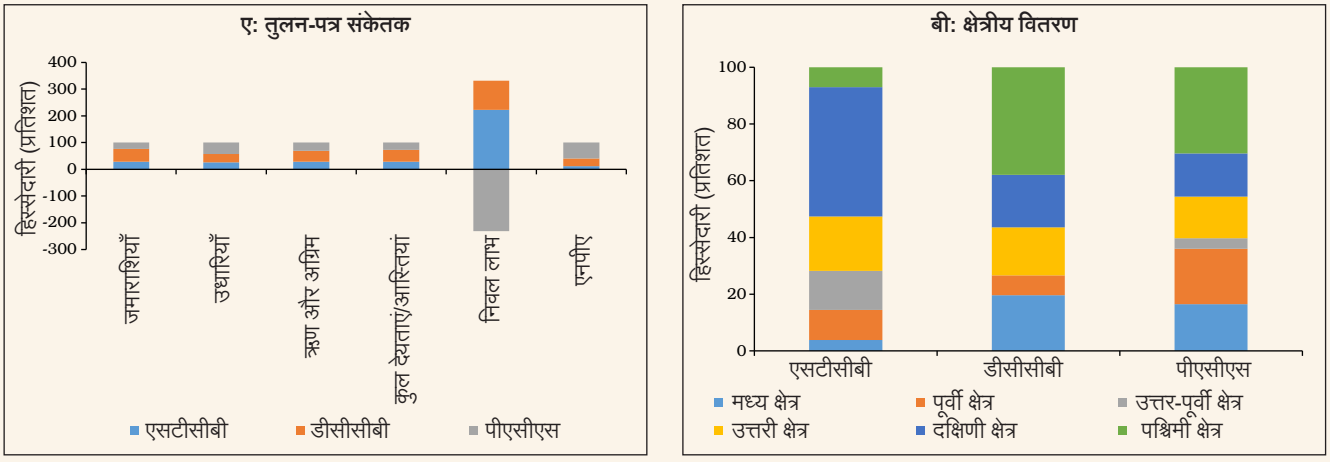

स्रोत : नाबार्ड तथा एनएएफएससीओबी

2,072 शाखाओं के साथ परिचालन किया, जिसमें एमएसएमई, आवास और शिक्षा ऋण सहित कृषि से लेकर गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु ऋण प्रदान किया गया जो उनकी कुल उधार संबंधी गतिविधियों का आधे से अधिक है।

तुलन-पत्र परिचालन

V.43 एसटीसीबी के तुलन पत्र में लगातार दूसरे वर्ष 2019-20 में 7 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई, जो मुख्य रूप से अनुकूल जमा वृद्धि से प्रेरित थी। केरल राज्य सहकारी बैंक लि. में केरल के 13 डीसीसीबी का समामेलन के परिणामस्वरूप भी केरल राज्य सहकारी बैंक लि. की समेकित तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की व्यापक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि, 13 डीसीसीबी के संचित नुकसान के कारण वित्तीय पक्ष प्रभावित हुआ। (सारणी V.13)।

V.44 वर्ष 2020-21 के दौरान, एसटीसीबी की ऋण वृद्धि धीमी रही, लेकिन उन्होंने एससीबी और यूसीबी दोनों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया (सारणीV.14)।

लाभप्रदता

V.45 वर्ष 2019-20 में एसटीसीबी की आय और व्यय दोनों में गिरावट आयी। व्यय में आयी बड़ी कमी के कारण निवल लाभ में वृद्धि हुई। जहां ब्याज आय में गिरावट आई, वही गैर-ब्याज

सारणी V.13 : राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		घट-बढ़ (प्रतिशत)	
	2019	2020	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	7,429 (2.3)	7,459 (2.1)	8.8	0.4
2. आरक्षित निधियाँ	13,797 (4.3)	14,441 (4.2)	10.6	4.7
3. जमाराशियां	1,92,693 (60.7)	2,10,342 (61.8)	6.3	9.2
4. उधारियां	84,074 (26.5)	85,723 (25.1)	10.2	2.0
5. अन्य देयताएं	19,081 (6)	22,301 (6.5)	6.7	16.9
आस्तियां				
1. नकद और बैंक में जमाशेष	15,168 (4.7)	10,229 (3)	12.4	-32.6
2. निवेश	1,03,131 (32.5)	1,12,828 (33.1)	0.3	9.4
3. ऋण एवं अग्रिम	1,83,633 (57.9)	1,99,943 (58.7)	11.6	8.9
4. संचित हानि	986 (0.3)	1,232 (0.3)	-3.5	25.0
5. अन्य आस्तियां	14,156 (4.4)	16,035 (4.7)	9.3	13.3
कुल देयताएं/आस्तियां	**3,17,074 (100.00)**	**3,40,267 (100.00)**	**7.6**	**7.3**

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं को ₹1 करोड़ में पूर्णांकित कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ा गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।

स्रोत : नाबार्ड

सारणी V.14 : अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतक

(राशि करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*	2020-21
1	2	3	4	5	6	7
जमाराशियां	79,564	90,277	98,768	1,10,559	1,87,456	1,97,751
	(3.0)	(13.5)	(9.4)	(11.9)	(69.6)	(5.5)
ऋण	1,07,360	1,10,934	1,17,989	1,31,399	1,94,310	2,06,322
	(3.4)	(3.3)	(6.4)	(11.4)	(47.9)	(6.2)
एसएलआर निवेश	24,220	26,225	33,411	33,130	54,181	67,788
	(4.0)	(8.3)	(27.4)	(-0.8)	(63.5)	(25.1)
ऋण तथा एसएलआर निवेश का जोड़	1,31,580	1,37,159	1,51,400	1,64,529	2,48,492	2,74,110
	(3.5)	(4.2)	(10.4)	(8.7)	(51.0)	(10.3)

टिप्पणियाँ: 1. आंकड़े संगत वर्ष के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर को प्रतिशत में दर्शाते हैं।
3. *: उच्च वृद्धि मुख्य रूप से केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ 13 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के समामेलन के कारण है।

स्रोत : भारिबैंक अधिनियम की धारा 42 के तहत प्रपत्र बी।

आय में दोगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण आरक्षित निधि और अतिरिक्त प्रावधानों की वापसी और महाराष्ट्र एसटीसीबी की आस्थगित कर आय रही। यह इजाफा वर्ष के दौरान कई एसटीसीबी द्वारा निवेश से प्राप्त लाभ और कमीशन एक्सचेंज और ब्रोकरेज सेवाओं में हुए लाभ के कारण रहा। व्यय पक्ष के संदर्भ में, घटते ब्याज व्यय के साथ कम वेतन बिल, प्रावधान और आकस्मिकताओं में भारी वृद्धि से समायोजित होने के कारण कुल व्यय में कमी आई (सारणी V.15)।

V.46 दक्षिणी क्षेत्र में एसटीसीबी की मजबूत उपस्थिति होने के कारण अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त हुआ। वृद्धि के संदर्भ में, पूर्वी और मध्यवर्ती राज्यों की आय ने अन्य क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया, जिसके कारण अखिल-भारतीय लाभ में 41.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट V.21)।

आस्ति गुणवत्ता

V.47 वर्ष 2019-20 में एसटीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में कमी आयी, जिसके परिणामस्वरूप अवमानक आस्तियों में अछिखासी वृद्धि हुई (सारणी V.16)। वर्ष के दौरान 33 एसटीसीबी में से 17 ने नयी गिरावट में तेजी दर्ज की गयी।

सारणी V.15 : राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि करोड़ में)

मद	के दौरान		प्रतिशत घट-बढ़	
	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**22,283**	**21,922**	**6.5**	**-1.6**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज से होने वाली आय	21,383	20,014	6.7	-6.4
	(95.9)	(91.2)		
ii. अन्य आय	901	1,908	1.0	111.9
	(4.0)	(8.7)		
बी. व्यय (i+ii+iii)	**21,063**	**20,198**	**4.6**	**-4.1**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. व्ययगत ब्याज	16,276	14,871	2.0	-8.6
	(77.2)	(73.6)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक निधियां	1,579	2,646	6.3	67.6
	(7.4)	(13)		
iii. परिचालनगत व्यय	3,209	2,681	18.6	-16.4
	(15.2)	(13.2)		
जिसमें से : वेतन बिल	1,740	1,491	5.7	-14.3
	(8.2)	(7.3)		
सी. लाभ				
i. परिचालनगत लाभ	2,360	2,974	21.4	26.0
ii. निवल लाभ	1,220	1,724	55.3	41.3

टिप्पणियाँ : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ा गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।

स्रोत : नाबार्ड

चार्ट V.21 : राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता

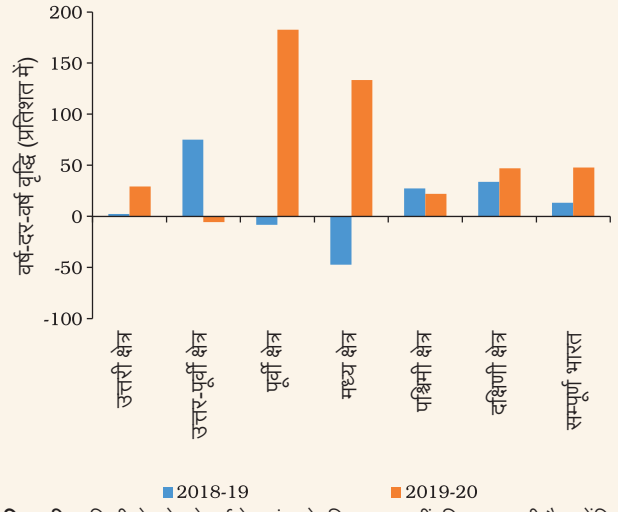

टिप्पणी: दक्षिणी क्षेत्र के दो वर्ष के आंकड़ो की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि केरल के डीसीसीबी के समामेलन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।
स्रोत : नाबार्ड

V.48 आस्ति गुणवत्ता के संदर्भ में, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर और पुदुचेरी के एसटीसीबी का उच्च एनपीए अनुपात रहा (परिशिष्ट सारणी V.3)

सारणी V.16 : राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि करोड़ में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2019	2020	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ii+iii)	9,968	13,477	5.2	35.2
i. अवमानक	4,712	7,883	9.6	67.3
	(47.2)	(58.4)		
ii. संदिग्ध	4,011	4,400	9.2	9.7
	(40.2)	(32.6)		
iii. हानि	1,245	1,195	-17.2	-4.1
	(12.4)	(8.8)		
बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	**5.4**	**6.7**	-	-
सी. मांग- वसूली अनुपात (%)	**93.9**	**94.4**	-	-

टिप्पणियां :
1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल एनपीए में हिस्सेदारी को दर्शाते हैं (%)।
2. निरपेक्ष संख्याओं का पूर्णांकन किया गया है, जिसके कारण प्रतिशत में थोड़ी भिन्नता हो सकती है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ा गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।
5. वसूली की स्थिति समान वित्तीय वर्ष की 30 जून की स्थिति के अनुसार है।

स्रोत : नाबार्ड

4.1.2 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

V.49 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी), जो अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी संरचना में मध्यवर्ती स्तर पर हैं, जनता से जमा राशि जुटाते हैं, एसटीसीबी से उधार लेते हैं और नाबार्ड से पुनर्वित्त करते हैं। डीसीसीबी व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के साथ-साथ पीएसीएस को भी उधार देते हैं। हालांकि, व्यवहारिक रूप में, वे एसटीसीबी की तुलना में उधार पर कम निर्भर होते हैं, क्योंकि वे जमा राशि जुटाने के लिए अपने व्यापक शाखा नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं। यह एसटीसीबी की तुलना में सी-डी अनुपात को भी कम करता है, फिर भी डीसीसीबी का बकाया क्रेडिट ज्यादा है (चार्ट V.22)।

V.50 वर्ष के दौरान, केरल के 13 डीसीसीबी का केरल राज्य सहकारी बैंक लि. में समामेलन कर दिया गया और बिहार में एक डीसीसीबी यथा सुपौल डीसीसीबी को बैंकिंग लाइसेन्स प्रदान किया गया, इस तरह मार्च 2020 के अंत की स्थिति के अनुसार इनकी संख्या 13,589 शाखाओं के साथ कुल 351 हो गयी।

तुलन-पत्र परिचालन

V.51 देयता पक्ष में जमा वृद्धि और आस्ति पक्ष में ऋण और अग्रिम में मंदी के कारण वर्ष 2019-20 में डीसीसीबी के समेकित

चार्ट V.22 : ऋण-जमा अनुपात

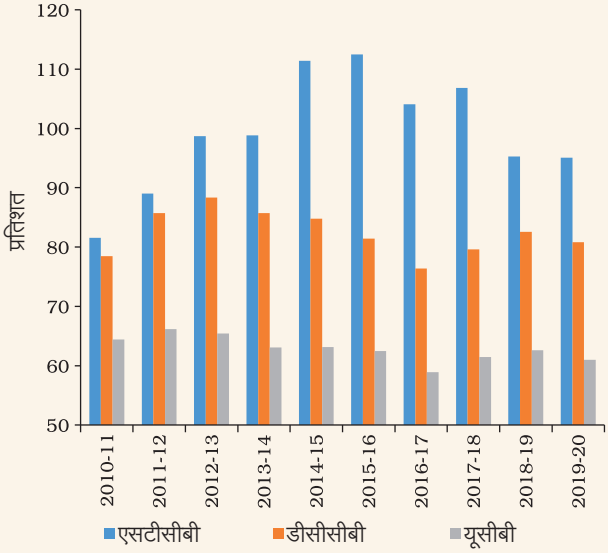

स्रोत : नाबार्ड

सारणी V.17: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2019	2020	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	20,122 (4)	20,913 (3.9)	9.3	3.9
2. आरक्षित निधियाँ	20,780 (4.1)	22,332 (4.1)	5.5	7.5
3. जमाराशियां	3,20,947 (63.9)	3,45,682 (64.4)	10.6	7.7
4. उधारियां	92,962 (18.5)	97,448 (18.1)	7.9	4.8
5. अन्य देयताएं	46,762 (9.3)	49,602 (9.2)	9.4	6.1
आस्तियां				
1. नकद और बैंक में जमाशेष	25,637 (5.1)	23,409 (4.3)	11.3	-8.7
2. निवेश	1,69,554 (33.8)	1,86,745 (34.8)	8.4	10.1
3. ऋण एवं अग्रिम	2,65,026 (52.8)	2,79,272 (52.1)	8.4	5.4
4. संचित हानि	6,139 (1.2)	6,721 (1.2)	15.6	9.5
5. अन्य आस्तियां	35,217 (7)	39,830 (7.4)	26.2	13.1
कुल देयताएं/आस्तियां	**5,01,573 (100.00)**	**5,35,977 (100.00)**	**9.7**	**6.9**

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं को ₹1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ा गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।

स्रोत : नाबार्ड

तुलन पत्र में 6.9 प्रतिशत की गिरावट आयी। सीआरआर अपेक्षाओं[13] में कमी के कारण नकदी और बैंक शेष में संकुचन निवेश में तेजी के अनुरूप था। (सारणी V.17)।

लाभप्रदता

V.52 एसटीसीबी की तुलना में डीसीसीबी पर वेतन बिल का भार अधिक होता है, जो उनके परिचालनगत व्यय को

चार्ट V.23 : कुल व्यय में परिचालनगत व्यय का हिस्सा

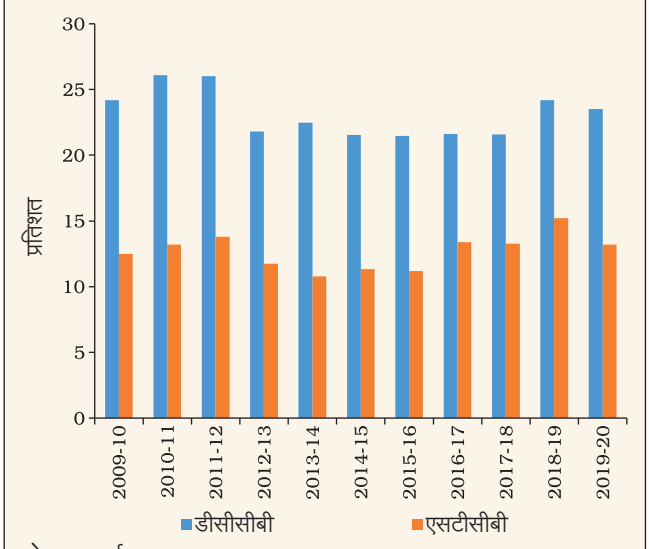

स्रोत : नाबार्ड

बढ़ाता है (चार्ट V.23)। वर्ष 2019-20 के दौरान, विशेष रूप से वेतन बिल के कारण परिचालनगत व्यय में गिरावट से उनके परिचालन लाभ को बढ़ाने में मदद मिली। ब्याज व्यय में वृद्धि से अधिक ब्याज आय में तेजी, तथा प्रावधानों और आकस्मिकताओं में मंदी के फलस्वरूप लगातार तीन वर्षों के संकुचन के बाद वर्ष 2019-20 में निवल लाभ में वृद्धि दर्ज की गई (सारणी V.18)।

V.53 सामान्यतः दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों के डीसीसीबी का अखिल-भारतीय निवल लाभ में प्रमुख योगदान है। हालांकि, वर्ष 2019-20 के दौरान, पश्चिमी क्षेत्र, विशेष रूप से महाराष्ट्र, के लाभ में आयी तेजी ने पूर्वी क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया (चार्ट V.24)। तमिलनाडु के डीसीसीबी ने सबसे अधिक निवल लाभ अर्जित किया, जबकि मध्य प्रदेश के डीसीसीबी ने सबसे अधिक निवल हानि दर्ज की। वर्ष 2019-20 के दौरान 351 में से 60 डीसीसीबी ₹1,041 करोड़ की संचयी हानि के साथ घाटे में चल रहे थे (परिशिष्ट सारणी V.4)।

[13] कोविड -19 के कारण उत्पन्न हुए व्यवधान पर काबू पाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकबारगी उपाय के रूप में दिनांक 27 मार्च 2020 को सभी बैंकों की सीआरआर को 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े के लिए 100 आधार अंक कम कर निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) का 3.0 प्रतिशत करने का निर्णय किया।

सारणी V.18 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन

(राशि करोड़ में)

मद	के दौरान		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5
ए. आय (i+ii)	**35,778**	**38,398**	**5.3**	**7.3**
	(100.00)	**(100.00)**		
i. ब्याज से होने वाली आय	33,995	36,473	4.8	7.3
	(95)	(94.9)		
ii. अन्य आय	1,782	1,924	14.6	8.0
	(4.9)	(5)		
बी. व्यय (i+ii+iii)	**35,119**	**37,552**	**6.8**	**6.9**
	(100.00)	**(100.00)**		
i. व्ययगत ब्याज	23,014	24,830	3.3	7.9
	(65.5)	(66.1)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक निधियां	3,596	3,886	17.2	8.0
	(10.2)	(10.3)		
iii. परिचालनगत व्यय	8,508	8,836	12.9	3.9
	(24.2)	(23.5)		
जिसमें से, वेतन बिल	5,374	5,663	12.2	5.4
	(15.3)	(15)		
सी. लाभ				
i. परिचालनगत लाभ	3,784	4,229	2.7	11.8
ii. निवल लाभ	659	846	-39.8	28.4

टिप्पणियाँ : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय अनुपात को दर्शाते हैं (प्रतिशत में)।
2. वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़, घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ा गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।

स्रोत : नाबार्ड

आस्ति गुणवत्ता

V.54 एक दशक से अधिक समय से डीसीसीबी ने एसटीसीबी की तुलना में अधिक आस्ति गुणवत्ता दबाव का सामना किया है। वर्ष 2016-17 से दोनों की स्थिति और खराब हो रही है, चूंकि कई राज्यों ने कृषि ऋण माफी योजनाओं की घोषणा की, जिसने आंशिक रूप से ऋण-संस्कृति और मांग-वसूली अनुपात को प्रभावित किया (चार्ट V.25)।

V.55 वर्ष 2019-20 में डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट जारी रही (सारणी V.19)। अवमानक आस्तियों में गिरावट और संदिग्ध आस्तियों में तेजी, अशोध्य आस्तियों और दबाव के बढ़ते जाने का संकेत है। कुछ डीसीसीबी की खराब ऋण-संस्कृति, संचालन संबंधी समस्याएं और कमजोर प्रबंधन प्रथाएं आस्ति की गुणवत्ता को खराब करने में प्रमुख

चार्ट V.24 : डीसीसीबी की लाभप्रदता

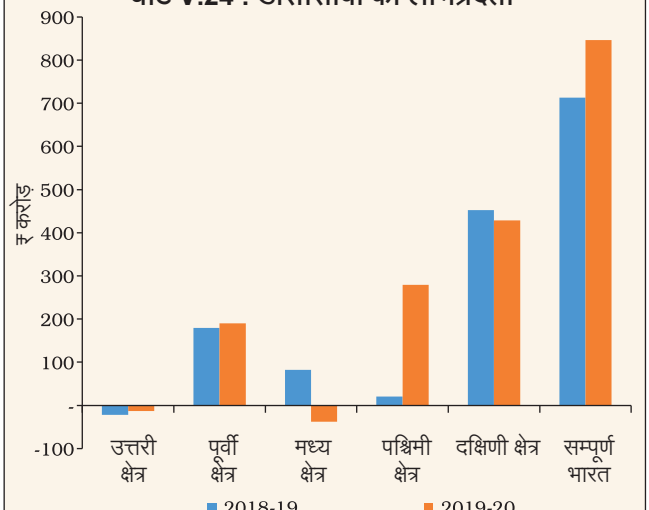

टिप्पणियां : दक्षिणी क्षेत्र के दो वर्ष के आंकड़ो की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि केरल के डीसीसीबी के समामेलन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

स्रोत : नाबार्ड

भूमिका निभाती हैं। पांच राज्यों यथा झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात 20 प्रतिशत से भी अधिक है (परिशिष्ट सारणी V.4)।

V.56 नाबार्ड के वर्ष 2020-21 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, एसटीसीबी और डीसीसीबी के वित्तीय संकेतकों से

चार्ट V.25 : एनपीए अनुपात: एसटीसीबी *बनाम* डीसीसीबी

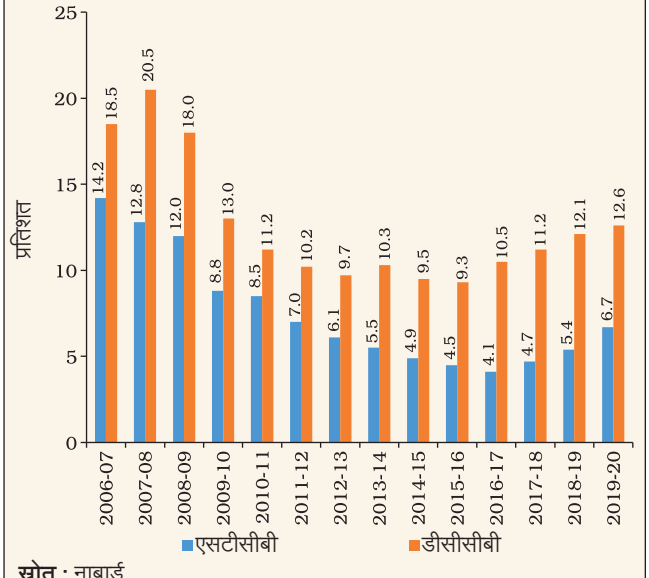

स्रोत : नाबार्ड

सारणी V.19 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि करोड़ में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2019	2020	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5
ए. कुल एनपीए (i+ ii + iii)	**31,998**	**35,298**	**15.7**	**10.3**
i) अवमानक	15,641 (48.8)	15,885 (45.0)	19.5	1.6
ii) संदिग्ध	13,918 (43.4)	16,990 (48.1)	15.0	22.1
iii) हानि	2,439 (7.6)	2,423 (6.8)	-0.9	-0.6
बी. ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)	**12.1**	**12.6**	-	-
सी. मांग - वसूली अनुपात (%)	**72.0**	**70.2**	-	-

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल एनपीए में हिस्सेदारी को दर्शाते हैं (%)।
2. वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत घट-बढ़ थोड़ी भिन्न हो सकती है क्योंकि सारणी में निरपेक्ष संख्याओं का ₹ 1 करोड़ में पूर्णांकन कर दिया गया है।
3. पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ घटकों के जोड़ से भिन्न हो सकता है।
4. वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल की 13 डीसीसीबी (मल्लापुरम डीसीसीबी को छोड़कर) का केरल एसटीसीबी में समामेलन कर दिया गया। पिछले वर्ष के एसटीसीबी के योग में 13 डीसीसीबी के डेटा को जोड़ा गया है ताकि तुलना और वृद्धि दर की गणना की जा सके।
5. वसूली की स्थिति समान वित्तीय वर्ष की 30 जून की स्थिति के अनुसार है।

स्रोत : नाबार्ड

पता चलता है कि रिज़र्व बैंक के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों के विनियामकीय और वित्तीय समर्थन के कारण महामारी के बावजूद उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ है (बॉक्स V.2)।

4.1.3 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

V.57 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) ग्रामीण सहकारी संरचना में तीसरे स्तर का गठन करती हैं। वे मुख्य रूप से अपने सदस्यों के लिए कृषि संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति, उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण और उपज के विपणन की व्यवस्था के साथ-साथ अल्पावधि और मध्यावधि कृषि ऋण प्रदान करने में शामिल होती हैं।

V.58 मार्च 2020 के अंत की स्थिति के अनुसार, पश्चिमी क्षेत्र में प्रभावी उपस्थिति के साथ, पीएसीएस की पहुंच 13.8 करोड़ सदस्यों और 5.3 करोड़ उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान करने के साथ 6,44,089 गांवों में थी। सदस्य-उधारकर्ता अनुपात,

बॉक्स V.2: ग्रामीण सहकारी बैंकों पर कोविड-19 का प्रभाव

एसटीसीबी और डीसीसीबी की ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 78 प्रतिशत से अधिक शाखाएँ हैं और उनका कृषि ऋण उनके बकाया ऋण पोर्टफोलियो का क्रमशः 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार एससीबी की तुलना में एसटीसीबी तथा डीसीसीबी महामारी का प्रबंधन करने में अनुकूल भौगोलिक क्षेत्रों में काम कर रहे थे।

इस क्षेत्र में एससीबी का हस्तक्षेप बढ़ जाने के कारण जमीनी स्तर पर कृषि ऋण में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी लगातार गिर रही है। हालांकि 2020-21 में प्रदत नए ऋणों में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी तीव्र गति से बढ़ी है (सारणी 1)।

वर्ष 2019-20 के क्रमशः 97 प्रतिशत और 83 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 में एसटीसीबी ने 94 प्रतिशत और डीसीसीबी[14] ने 88 प्रतिशत लाभ दर्ज किया।

सारणी 1: कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी (%)

वर्ष	सहकारी बैंक	आरआरबी	वाणिज्यिक बैंक
2015-16	16.7	13.0	70.2
2016-17	13.4	11.6	75.0
2017-18	12.9	12.1	74.9
2018-19	12.1	11.9	76.0
2019-20	11.3	11.9	76.8
2020-21*	12.0	12.2	75.8

टिप्पणियाँ: *-आकंडे अनंतिम हैं।
स्रोत: नाबार्ड के ईएनएसयूआरई पोर्टल पर बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

ग्रामीण सहकारी संस्थानों ने महामारी से निपटने के लिए नवीन उपकरणों और रणनीतियों को अपनाया, जो निम्नानुसार हैं:

सारणी 2: महामारी के रूप में चुनौतियाँ और कार्यनीतियाँ

पर प्रभाव	अपनाई गई कार्यनीतियाँ
उधार	• रुपे केसीसी ने किसानों को समय पर ऋण प्राप्त करने में मदद की।
परिचालन	• स्टाफ के लिए ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। • शाखाओं और फिल्ड स्टाफ की दैनंदिन गतिविधियों की निगरानी हेतु क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) बनाए गए। • ऋण व्यवसाय की प्रगति की निगरानी हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठकें आयोजित की गई।
चलनिधि	• सीआरआर में 100 आधार अंक की कमी। • सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत ऋण में वृद्धि। • नाबार्ड की विशेष चलनिधि सुविधा के तहत ग्रामीण सहकारी संस्थानों को ₹.16,800 करोड़ का वितरण।
पूंजी पर्याप्तता	• कुछ राज्य सरकारों के पुनर्पूंजीकरण के फलस्वरूप पूंजी बफर में वृद्धि। • कुछ ने अपनी पूंजी को आंतरिक उपार्जन तथा व्यक्तिगत सदस्यों या क्रेडिट सोसायटी से प्राप्त शेयर पूंजी योगदान के माध्यम से बढ़ाया।

स्रोत: नाबार्ड

एसटीसीबी और डीसीसीबी ने महामारी की पहली लहर का सुदृढ़ता से सामना किया, लेकिन शुरुआती संकेतक से पता चलता है कि दूसरी लहर का प्रभाव अधिक घातक रहा और हालिया गिरावट के कारण वर्ष 2021-22 में दबाव बढ़ने की संभावना है।

[14] तमिलनाडु औद्योगिक सहकारी बैंक लि. (टीएआईसीओ) जो कि एक डीसीसीबी है, के आंकड़े को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह एक औद्योगिक सहकारी बैंक है।

पीएसीएस का एक ऋण-संकेंद्रण मापक, वर्ष 2016-17 में 39.6 प्रतिशत से उत्तरोत्तर कम होकर वर्ष 2019-20 में 38 प्रतिशत हो गया है। वे जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन के वाहक हैं क्योंकि उनके अधिकांश उधारकर्ता और सदस्य सीमांत किसान हैं (परिशिष्ट सारणी V.7)।

V.59 जमाराशियों में अच्छी वृद्धि ऋणों के विस्तार के अनुरूप थी, जिसमें अल्पावधिक बकाया ऋण दोगुने हो गए थे (परिशिष्ट सारणी V.5)। जबकि दूसरी ओर, उधार में मामूली कमी आयी। पीएसीएस की स्वाधिकृत निधियों में सरकार के योगदान में भी काफी कमी आयी।

V.60 कृषि और गैर-कृषि गत ऋण दोनों में समान दरों से विस्तार हुआ, जिससे वर्ष 2019-20 में कुल उधार में कृषि ऋणों के प्रमुख हिस्से को 81 प्रतिशत पर बनाए रखने में मदद मिली। जहां, वर्ष के दौरान कुल पीएसीएस में से आधे लाभप्रद स्थिति में रहे, वहीं बाकी के आधे को हुई हानि ने लाभ को कम कर दिया। अधिकांश हानि दक्षिणी क्षेत्र, विशेष रूप से आन्ध्रप्रदेश और केरल से हुई (परिशिष्ट सारणी V.6)।

4.2 दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

V.61 दीर्घावधिक सहकारी संस्थाएं पूंजी निर्माण और ग्रामीण गैर-कृषि परियोजनाओं के लिए सावधि वित्त प्रदान करते हैं। इनकी संरचना में शामिल राज्य स्तर पर संचालित राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और जिला / ब्लॉक स्तर पर संचालित प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) सम्पूर्ण राज्य में एक समान पैटर्न का पालन नहीं करते हैं। वर्तमान में, तेरह पूर्णतः कार्यरत एससीएआरडीबी में से पाँच (गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश) ऐकिक हैं, यानि, वे पृथकतः पीसीएआरडीबी के बिना सीधे उधार देते हैं। छह (हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु) संघीय स्वरूप के हैं, यानि, वे पीसीएआरडीबी के माध्यम से उधार देते हैं, और दो (हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में मिश्रित संरचनाएं हैं, यानि, वे पीसीएआरडीबी के साथ-साथ अपनी शाखाओं के माध्यम से उधार देते हैं।

4.2.1 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)

V.62 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 791 शाखाओं के साथ कार्यरत, एससीएआरडीबी का समेकित तुलन-पत्र वर्ष 2019-20 में लगातार तीसरे वर्ष संकुचित हो गया, इसकी वजह आस्ति पक्ष में निवेश और देयता पक्ष में उधार में कमी रही (परिशिष्ट सारणी V.8)। उन्होने, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एससीएआरडीबी द्वारा 2018-19 में रिपोर्ट किए गए अपने नुकसान को पूरी तरह से पलटने के साथ ही, अपनी वित्तीय स्थिति में बदलाव करते हुए तीन साल के अंतराल के बाद निवल लाभ रिपोर्ट किया (परिशिष्ट सारणी V.11)। परिचालनगत व्यय और ब्याज व्यय में गिरावट आने तथा गैर-ब्याज आय में 150 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण परिचालन लाभ दोगुना हो गया। (परिशिष्ट सारणी V.9)। यद्यपि, आस्ति गुणवत्ता में कमी जारी रही क्योंकि अवमानक और संदिग्ध आस्तियों में क्रमश: 19 प्रतिशत और 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई, साथ ही मांग-वसूली अनुपात में मामूली कमी आई (परिशिष्ट सारणी V.10)।

4.2.2 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)

V.63 मार्च 2020 के अंत की स्थिति के अनुसार, आठ राज्यों में 602 पीसीएआरडीबी कार्यरत थे। देयता पक्ष में उच्च उधारी और आरक्षित निधि तथा आस्ति पक्ष में ऋण और अग्रिम एवं निवेश के कारण पीसीएआरडीबी के समेकित तुलन-पत्र में 2019-20 में विस्तार हुआ (परिशिष्ट सारणी V.12)। यद्यपि, ब्याज और गैर-ब्याज आय दोनों में वृद्धि हुई; तथापि, व्यय पक्ष में प्रावधानों और आकस्मिकताओं में पर्याप्त वृद्धि के कारण पीसीएआरडीबी को निवल हानि हुई, जिसमें केरल द्वारा उच्चतम निरपेक्ष हानि दर्ज की गयी (परिशिष्ट सारणी V.13)। उत्तरी राज्यों द्वारा उच्चतम एनपीए अनुपात रिपोर्ट करने के साथ ही पीसीएआरडीबी का एनपीए अनुपात और खराब हो गया। (परिशिष्ट सारणी V.14 और V.15)।

5. समग्र मूल्यांकन

V.64 शुरुआती संकेतकों से पता चलता है कि सहकारी बैंकों ने महामारी की पहली लहर का सामना अच्छी तरह से किया। गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए किए गए संरचनात्मक सुधार से उनके संचालन में परिवर्तन होने की संभावना है। एसएफबी जैसे अन्य विशिष्ट बैंकिंग क्षेत्रों के प्रतिस्पर्धी दबावों से निपटने के लिए यूसीबी तेजी से प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। अयोग्य अभिशासन संबंधी मामलों को विनियामकीय और प्रवर्तन कार्रवाइयों के माध्यम से निपटाया जा रहा है। आगे चलकर, आर्थिक गतिविधियों में आ रहे बदलाओं के परिणामस्वरूप आशा की जाती है कि यह क्षेत्र हाल ही में हुए वित्तीय सुधारों के कारण अपने लचीलेपन और लीवरेज को सुदृढ़ कर सकता है ताकि जमीनी स्तर तक वित्तीय सुविधाओं को पहुंचाने के लिए अपना विस्तार कर सकेगा।